



सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

सीटू की जनरल काउंसिल की बैठक, हिंद मोटर्स, 21-23 जनवरी 1983

बी. टी. रणदिवे का अध्यक्षीय भाषण

कामरेडो,

सबसे पहले मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के पोलिट ब्यूरो सदस्य और पार्टी की प. बंगाल राज्य कमेटी के सचिव का. प्रमोद दासगुप्त के निधन पर हार्दिक शोक और दुःख प्रकट करना चाहता हूँ. का. प्रमोद बरसों से सी.पी.आई. (एम) के सर्वोच्च नेतृत्व में थे और पार्टी की प. बंगाल इकाई तथा उस राज्य के महान जन आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे थे. का. प्रमोद प. बंगाल में इन्दिरा कांग्रेस की एक के बाद एक अनेक पराजयों के प्रमुख निर्माताओं में थे और राज्य में वाम मोर्चे के नेता थे. मार्क्सवाद-लेनिनवाद पर आधारित सच्ची सर्वहारा पार्टी के निर्माण के लिए समर्पित का. प्रमोद ने अपनी जिन्दगी की हर सांस ऐसी ही पार्टी का निर्माण करने और इसके लिए नौजवान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के काम में लगायी. उन्हीं के नेतृत्व के दौरान पार्टी की प. बंगाल राज्य कमेटी के दिशा निर्देशन और सीटू के नेतृत्व में राज्य का ट्रेड यूनियन आन्दोलन लगातार प्रगति करता रहा है और आज इस स्थिति में पहुँच गया है कि उसे सीटू का सबसे मजबूत तथा सुसंगठित हिस्सा कहा जा सकता है. संघर्षों के बीच विकसित हुई वर्ग चेतना के चलते ही प. बंगाल का मजदूर वर्ग अपनी फौरी लड़ाइयों में शानदार कामयाबियाँ हासिल करने के साथ-साथ इन्दिरा कांग्रेस को एक के बाद दूसरी शिकस्त देने में भी कामयाब हुआ है. का. प्रमोद के निधन से मजदूर वर्ग के आन्दोलन की अपूरणीय क्षति हुई है. उनके निधन से ऐसा रिक्त स्थान पैदा हो गया है जिसे भरने में बहुत समय लगेगा.

कामरेडो, इस मौके पर मैं का. ब्रेम्नेव के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ जो सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन में सबसे महत्व के पद पर थे. का. ब्रेम्नेव उस महान समाजवादी देश सोवियत संघ के राष्ट्रपति भी थे, जिसने सारी दुनिया का नक्शा बदल

कर रख दिया है. सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव के रूप में समाजवादी योजनाओं की नयी-नयी कामयाबियों और सोवियत जनता की व्यापक खुशहाली तथा सम्पन्नता में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी. दूसरे समाजवादी देशों की प्रगति में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और उनके दिशा निर्देशन में ही अनेक समाजवादी देशों को परस्पर लाभकारी आर्थिक गतिविधियों के मजबूत धारों से बांधकर एकजुट किया गया था. सोवियत संघ में उनके नेतृत्व के दौर में भारत-सोवियत मैत्री का और विकास हुआ. दोनों देशों के बीच हुए अनेक आर्थिक समझौते, अनेक बुनियादी महत्व की परियोजनाओं के लिए मिली सोवियत सहायता और भारत-सोवियत मैत्री तथा सहयोग संधि इसकी मिसालें हैं. ये सम्बन्ध सामराजी तिकड़मों का मुकाबला करने के लिए हमारे देश को शक्ति प्रदान करते हैं. का. ब्रेम्नेव जो विश्व शांति के एक महान सेनानी के रूप में भी याद किया जायगा. एक राजनेता के रूप में उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से दुनिया को नाभिकीय युद्ध की तबाही से बचाने के लिए काम किया और करोड़ों लोगों की शांति तथा सुरक्षा की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया. उनके निधन से विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन की गम्भीर क्षति हुई है.

हाल के चुनावों का महत्व

कामरेडो, दिनों-दिन बिगड़ती आर्थिक स्थिति के बीच असम, पंजाब आदि में फूटपरस्त ताकतों के हमलों तथा शेष समूचे देश में फिरकापरस्त तथा अन्य विभाजनकारी ताकतों के हमलों के बीच देश की आम जनता जनबिरोधी इन्दिरा-कांग्रेसी नीतियों के विरुद्ध संघर्ष में आगे बढ़ रही है, हालांकि कई बार वह दिशा से भटकनेवाली नीति की भी शिकार हो जाती है. इस क्रम में त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इन्दिरा कांग्रेस की निर्णायक पराजय एक महत्वपूर्ण घटना है. सीटू की एक ओर से मैं इन्दिरा कांग्रेस तथा उसके पृथक्तावादी

सहयोगी पर त्रिपुरा में, सी.पी.आई.(एम) के नेतृत्व में वाम-मोर्चे की जीत का गर्मजोशी से अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पृथक्तावादी आदिवासी संगठन से तो इन्दिरा कांग्रेस का समझौता था ही, उसने आनन्द मार्ग और आमरा बंगाला जैसे प्रतिक्रियावादी संगठनों से भी सॉट-सॉट कर रखी थी। लेकिन इस सबके बावजूद, मतदाताओं ने उसे करारी शिकस्त दी है। त्रिपुरा में वाम-मोर्चे ने दिखा दिया है कि देश की एकता की रक्षा कैसे की जाती है। जनता के जनवादी अधिकारों का विस्तार कैसे किया जाता है और जनवाद तथा धर्मनिरपेक्षता के आधार पर किस तरह जनता के विभिन्न समुदायों के बीच एकता कायम रखी जा सकती है। पृथक्तावादियों की हत्यारी मुहिम और इन्दिरा-कांग्रेसी गुन्डा गिरोह के सारे अभियान के बावजूद वाम-मोर्चे की निर्णायक जीत हुई है। एक साल के अन्दर-अन्दर यह दूसरा अवसर है जब खुले चुनावी संघर्ष में सी.पी.आई.(एम) के नेतृत्व में वामपंथी शक्तियों के हाथों इन्दिरा कांग्रेस की निर्णायक हार हुई है।

अब इन्दिरा कांग्रेसी शासन, उसकी जनविरोधी नीतियों और आर्थिक भोपण से पैदा हुई बदहाली के खिलाफ जनता का असंतोष इस बिन्दु पर पहुँच चुका है कि आंध्र में एक नयी पार्टी—तेलुगु देशम—के हाथों शासक पार्टी को अभूतपूर्व, शर्मनाक हार का मुँह देखना पड़ा है। आंध्र की जनता और खासकर देहाती जनता ने इन्दिरा-कांग्रेसी शासन की चोरदार हंग से ठुकराया और नये प्रशासन से यह उम्मीद लगायी है कि वह जनता के हितों का ध्यान रखेगा। बहरहाल, जहाँ हम आंध्र की जनता द्वारा इन्दिरा कांग्रेस को ठुकराये जाने का स्वागत करते हैं, वहीं हम आंध्र के मजदूर केन्द्रों में मतदाताओं के रुझान पर चिंता प्रकट किये बिना नहीं रह सकते हैं। अनेक संयुक्त अभियानों, अनेक मसलों पर संयुक्त हड़तालें तथा प्रदर्शनों के बावजूद इन मजदूर केन्द्रों की जनता वामपंथी-जनवादी दृष्टिकोण वाले ट्रेड यूनियन नेताओं को सुनने के बजाय 'तेलुगु देशम' की आश्रय में बह गयी है। लिहाजा, ट्रेड यूनियन आन्दोलन को जनता की समस्याओं को हल करने में नये प्रशासन की सहायता के लिए तत्पर रहते हुए भी अपनी सतर्कता बनाये रखनी होगी। जहाँ कहीं जनता के हितों की रक्षा हो, उसे संयुक्त रूप से कार्यवाई करते रहना है।

कर्नाटक में भी ऐसे ही अप्रत्याशित नतीजे सामने आये हैं। वहाँ इन्दिरा कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल सका और जनता पार्टी के नेतृत्व में नयी सरकार बनी है। यहाँ भी इन्दिरा-कांग्रेसी शासन के झूठाचार, दमन, जनवादी अधिकारों पर हमलों और आर्थिक मुसीबतों से क्षुब्ध जनता ने शासक पार्टी को ठुकरा दिया है।

कर्नाटक में जनता पार्टी की मदद से कई ट्रेड यूनियन नेता

चुन कर आये हैं। निश्चय ही ये नेता पिछली सरकार के कुप्रभावों से उबरने में सरकार की मदद करते हुए मजदूर-वर्ग और जनता की ओर से उनके हितों की चौकसी करते रहेंगे। त्रिपुरा के विपरीत आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के मजदूर-वर्ग और ट्रेड यूनियन आन्दोलन के सामने ऐसी सरकारें हैं जिनके पास पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा की सरकार की तरह का कोई स्पष्ट वर्गीय कार्यक्रम नहीं है। इसके चलते भविष्य में कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं। फिर भी, मजदूर-वर्ग को यह नहीं भूलना चाहिए कि ये नयी सरकारें इन्दिरा-कांग्रेसी कुशासन के खिलाफ जनता के आक्रोश को अभिव्यक्त करती हैं।

हमारे देश के लिए इन चुनाव परिणामों का भारी राजनीतिक महत्व है। यही तर्ज, ये नतीजे ऐसे घटनाक्रम को भी प्रेरित करने वाले हैं जिससे जनता में इन्दिरा कांग्रेस का प्रभाव और भी घटेगा और इस पार्टी का खिसराव बढ़ेगा। इन नतीजों से पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि वे भ्रम अब दूर चले हैं जिनके चलते 1980 में इन्दिरा कांग्रेस फिर से सत्ता में आयी थी। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में, जो 30 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ थे, अब इस पार्टी को ठुकरा दिया गया है। दक्षिण में कांग्रेस का दुर्ग अब ढह चुका है। केरल में इन्दिरा-कांग्रेसी नेतृत्ववाली सरकार हर तरह के सांप्रदायिक और जाति-बिरादरीवादी संगठनों के जुते पर ही टिकी हुई है। गौर तत्व है कि दक्षिण भारत जो इमजेंसी के बाद के चुनाव ज्वार में भी इन्दिरा कांग्रेस के साथ था, आज उसके हाथों से निकल चुका है और इतनी ही महत्वपूर्ण सचाई यह है कि जनता में इन्दिरा कांग्रेस की लोकप्रियता जैसे-जैसे घटती जाती है, वैसे-वैसे यह पार्टी हर तरह की प्रतिक्रियावादी पृथक्तावादी ताकतों से हाथ मिलाने के लिए तैयार होती जाती है। त्रिपुरा और केरल इसकी मिसाल हैं।

अब वक्त आ गया है कि ट्रेड यूनियन आन्दोलन इस सचाई को समझे, इन्दिरा कांग्रेस के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगाये और वामपंथी जनवादी ताकतों की मदद करे ताकि वे आगे बढ़ सकें तथा अपनी स्थिति मजबूत कर सकें। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का अनुभव बताता है कि अगर जनवाद की लड़ाई में ट्रेड यूनियन आन्दोलन तथा मजदूर-वर्ग सक्रिय नहीं होगा, अगर वह अपनी भूमिका के प्रति सचेत नहीं होगा तो जनता का असंतोष गैर-वामपंथी पार्टियों के घेरे में चक्कर काटता रहेगा। आनेवाले संकट के दिनों में, जब जनता इन्दिरा कांग्रेस के प्रभाव से निकल रही होगी और एक नये नेतृत्व की तलाश कर रही होगी, इस असंतोष को वामपंथ की दिशा में मोड़ने के लिए ट्रेड यूनियन आन्दोलन की एकबद्ध पहलकदमी जरूरी होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो जनता उन्हीं पार्टियों के हड़-गिर्द चक्कर काटती रहेगी जिनके वर्गीय दृष्टिकोण में कोई अंतर नहीं है।

भयंकर आर्थिक मंदी

कामरेडो, पिछले एक बरस में मजदूरों और ट्रेड यूनियन आन्दोलन पर होनेवाले हमलों में और तेजी आयी है। भले ही सरकारी प्रवक्ता मंदी से लाख इन्कार करें, सच्चाई यही है कि औद्योगिक क्षेत्र में मिल-बंदियों, छंटनी और लम्बी-लम्बी हड़तालों और इनके चलते भूख तथा बेकारी का ही बोलबाला बढ़ा है।

बम्बई के डार्ड लाख हड़ताली कपड़ा मजदूरों के प्रति बदला लेने की सरकार की नीति, मजदूरों के प्रति सरकार के निष्ठुर रक्त को ही दिखाती है। ये मजदूर अपने संगठन की रक्षा के लिए और अपनी न्यूनतम मांगों के लिए पिछले बारह महीनों से बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं।

लेकिन, आनेवाले बरस में भी राहत के कोई आसार दिखायी नहीं देते। अंदरूनी और अंतर्राष्ट्रीय हालात दोनों ही ट्रेड यूनियन आन्दोलन पर हमले तेज होने का संकेत कर रहे हैं जिनका मुकाबला करने के लिए ट्रेड यूनियन आन्दोलन अभी पूरी तरह तैयार नहीं है।

वर्तमान विश्व स्थिति और विश्व आर्थिक मंदी के प्रभाव में, जिससे राहत का कोई चिह्न नहीं दिखायी देता, भारत की अर्थव्यवस्था की हालत और भी खस्ता होती जा रही है।

इस आर्थिक मंदी के चलते विकसित पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भर या उससे घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए भारत जैसे अनेक देशों की अर्थव्यवस्थाएं खतरे में पड़ गयी हैं। इनमें से कुछ तो दिवालियापन के कगार पर पहुंच गए हैं जबकि उनका जनता गले तक विदेशी कर्जों के बोझ से दबी हुई है। खुद भारत की भी करीब-करीब यही स्थिति है जहाँ मजदूर-वर्ग और जनता की हालत बंद से बदतर होने जा रही है।

विश्व पूंजीवादी व्यवस्था 7 साल से संकट की गिरफ्त में है और उसके संकट से उबरने के कोई आसार नहीं दिखायी दे रहे हैं। अमरीका, जापान, आस्ट्रेलिया तथा यूरोपीय देशों समेत 24 विकसित पूंजीवादी देशों के संगठन—'आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन' (ओ ई सी डी)—की ताजा रिपोर्ट से निकलनेवाली तस्वीर बड़ी ही निराशाजनक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में सुधार की भविष्यवाणी भूठी साबित हो गयी है। रिपोर्ट बताती है कि वर्तमान संकट अभी टलने वाला नहीं है।

पहले यह उम्मीद की जा रही थी कि 1982 में स्थिति में सुधार होगा और संकट से मुक्ति मिलेगी। लेकिन इन उम्मीदों पर पानी फिर गया है। 1982 के मध्य तक भी पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था उसी मंदी की गिरफ्त में थी।

कुल राष्ट्रीय उत्पादन में गिरावट हो रही थी और कुल विश्व व्यापार का गिरना जारी था।

अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 1984 के मध्य तक जापान के कुल राष्ट्रीय उत्पादन में हद से हद 3-4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। 1983 के मध्य तक अमरीका का कुल राष्ट्रीय उत्पादन 1980 के शुरूआती दौर के मुकाबले थोड़ा बेहतर हो जाने की उम्मीद है, यानी ये साढ़े तीन साल बिना किसी वास्तविक प्रगति के ही गुजर जायेंगे। और जहाँ तक यूरोप का सवाल है, उसकी संभावनाएं तो और भी धूमिल हैं। 1984 के मध्य तक, यानी अगले दो सालों में, शायद 1 से 1.5 फीसदी तक प्रगति हो पाय। 1982 में अमरीका के उत्पादन में 2 फीसदी की गिरावट आयी है जबकि पश्चिम यूरोपीय देशों का हाल और खस्ता है जहाँ विकास की दर सबसे धीमी है।

इन देशों की इजारेदारों के हितों में काम करनेवाली सरकारों ने मुद्रा-स्फीति पर रोक लगाकर संकट का मुकाबला करने की घोषणा की है। इन देशों में मुद्रा-स्फीति को ही असली दुश्मन बताया गया और संकट से निकलने तथा सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए मुद्रा प्रसार-विरोधी कदमों की घोषणा की गयी। ब्याज की दरें बढ़ायी गयीं और मुद्रा सप्लाई तथा कर्जों में कटौती की गयी। वास्तव में इन कदमों के जरिये मजदूर-वर्ग और जनता पर संकट का बोझ डालने की ही कोशिश की जा रही थी।

अमरीका में मुद्रा-स्फीति की दर, जो दो बरस पहले तक 12 फीसदी थी, 1982 में गिरकर 6 फीसदी रह गई। 1981 में मुद्रा-स्फीति की दर 8.9 फीसदी थी।

बढ़ती हुई बेरोजगारी

लेकिन, इन कदमों से मजदूर-वर्ग और जनता को किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली। इनके विपरीत मुद्रा प्रसार-विरोधी कदमों के कारण बेरोजगारी की तादात में भारी बढ़ोतरी हो हुई। सितम्बर 1982 में कुल अर्थ-शक्ति का 10.1 फीसदी बेरोजगार था, यानि 1 करोड़ 18 लाख बेरोजगार थे। 1941 के बाद, जब बेकारी 10.9 फीसदी पर पहुंच गयी थी और 57 लाख बेरोजगार थे, यह पहला मौका था जब बेकारी का फीसद इतना ऊंचा था। सितंबर में बेकारी की फीसद 1930 की उस भयंकर मंदी के बाद सबसे ऊंचा था, जिसे पूंजीवादी भूले रहना चाहते हैं और जिसकी परिणति दूसरे विश्व युद्ध में हुई थी। लेकिन यहीं अंत नहीं है। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। हर महीने 2 लाख लोगों की छंटनी हो रही है। पिछले दिसम्बर तक बेकारी का फीसद बढ़कर 10.8 हो चुका था। 1 करोड़

20 लाख लोग पहले ही बेरोजगार हैं और बेरोजगारों की यह तादाद लगातार बढ़ती जा रही है.

श्वेत और अश्वेत दोनों की ही युवा पीढ़ी को इस बेकारी का असली बोझ उठाना पड़ रहा है. 1982 के शुरू में अमरीका के राष्ट्रपति द्वारा पेन की गयी रिपोर्ट में बताया गया था कि 1980 के शुरू के महीनों में अश्वेत आबादी में बेकारों की संख्या दुगुनी हो गयी थी और 16 से 19 वर्ष के नौजवानों के मामले में यह संख्या पहले के मुकाबले 150 से 170 फीसदी तक पहुँच गयी थी.

अनुदार शासन के दौरान ब्रिटेन में बेकारों की संख्या दुगुनी हो गयी है. 1982 के शुरू के महीनों में यह संख्या 30 लाख तक पहुँच चुकी थी. अर्थ-शक्ति के एतवार से रोजगार-शुदा लोगों का 20.7 फीसदी हिस्सा बेरोजगार था. प. जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम तथा अन्य तमाम पश्चिम युरोपीय देशों में लाखों बेरोजगार हैं. अकेले यूरोप में ही बेरोजगारों की तादाद 1 करोड़ 80 लाख तक पहुँच चुकी है. तथाकथित विकसित पूँजीवाद दुनिया में आज 3 करोड़ लोग बेकार हैं.

इन हालात में इजारेदाराना पूँजीवाद का समाजविरोधी और युद्धोन्मादी चरित्र इस बात से जाहिर होता है कि युद्ध की तैयारियों और समाजवादी समुदाय के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए घातक नरसंहारकारी हथियारों के निर्माण पर भारी तादाद में साधनों की बर्बादी की जा रही है. अमरीका, जहाँ कि बेकारों की तादाद सबसे ज्यादा है, बेकारी का मुकाबला करने तथा संकट से उबरने के लिए अपने साधन लगाने के बजाय इस आक्रामक अभियान का नेतृत्व कर रहा है.

संकट की गिरपट में विकासशील देश

यह संकट समूची पूँजीवादी दुनिया में फैल चुका है और विकास के पूँजीवादी रास्ते पर चलनेवाले सारे विकासशील देश भी इस संकट की लपेट में आ गये हैं. पश्चिमी देशों द्वारा इन देशों के जोषण की प्रक्रिया और कर्ज पर इन देशों की निर्भरता इस हद तक बढ़ चुकी है कि इन विकासशील देशों और उन्हें कर्ज देनेवालों, दोनों के ही दिवालिया हो जाने का खतरा पैदा हो गया है. अनुमान है कि तीसरी दुनिया के देशों पर 500 अरब डालर का कर्ज होगा. इनमें से कई देश इस संकट और इसके कारण विदेशी निर्यातों में हुई कमी के कारण कर्ज अदा करने की स्थिति में नहीं हैं और अपने ऋणदाताओं से और ज्यादा कर्ज मांग रहे हैं. दूसरी ओर ऋणदाता नये कर्ज देने में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. वे कर्ज पूरी तरह बंद करने से भी डरते हैं क्योंकि अगर कर्जदार कर्ज चुकाने में असफल हो गये तो खुद ऋणदाताओं का दिवाला निकल जायगा.

इस संकट के चलते अनेक विकासशील देश अब पूरी तरह

सामराजी ऋणदाताओं पर निर्भर हो गये हैं और अब सामराजी ऋणदाता शर्तें थोप रहे हैं. इस स्थिति का फायदा उठाकरी अमरीका जैसे देश अपने संकट का बोझ कर्जदार देशों पर डाल रहे हैं. इस संकट की स्थिति में भी अमरीका इन देशों की जनता के सिर पर अपना माल मढ़ने की कोशिश कर रहा है. और यह लाजमी भी है, क्योंकि अमरीका के निर्यात का 40 फीसदी हिस्सा इन्हीं देशों में जाता है और हर आठवें अमरीका का रोजगार निर्यात पर ही निर्भर है. इस तरह पूँजीवादी देशों पर अपनी निर्भरता के कारण विकासशील देश तबाह हो रहे हैं. मन्दी के कारण विकासशील देशों के निर्यात में गिरावट आयी है और अब वे अपने कर्ज अदा करने या अपने देश में विकास तथा रोजगार बनाये रखने की स्थिति में नहीं है.

यहाँ तक कि घनी तेल उत्पादक देशों की स्थिति भी अच्छी नहीं है. तेल की कीमतों और तेल के निर्यात में आयी गिरावट के चलते पहले के भारी मुनाफे गायब हो गये हैं. आयातों की ऊँची कीमतों ने स्थिति को और भी बिगाड़ दिया है.

इन विकासशील देशों की ही तरह भारत की स्थिति भी खराब है. भारत भी विदेशी बैंकों से भारी कर्ज लिए बगैर अर्थव्यवस्था को थामे रहने में असमर्थ है. यही वजह है कि हमारा देश अंदरूनी संकट पर काबू पाने की स्थिति में नहीं है. लिहाजा, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपनी शर्तों के जरिये पश्चिमी संकट का बोझ हमारे देश पर डालने की कोशिश कर रहा है. भारत में रोजगार की स्थिति तथा उद्योगों और जनता की अर्थ-शक्ति पर इन शर्तों का बहुत बुरा असर पड़ रहा है. सामराजी ताकतों की कोशिश है कि इन शर्तों के जरिये कम कीमतों पर भारत के निर्यात पर कब्जा कर लिया जाय और मुद्रा-स्फीति पर नियंत्रण के नाम पर भारतीय उत्पादन कम करके गैर जरूरी विदेशी मालों तथा मशीनरी से भारत का बाजार पाट दिया जाय. पिछले दो सालों का इतिहास भारतीय रोजगार के खिलाफ एक के बाद एक दूसरे हमलों और किसानों के लिए मेहनत का फल कम से कम किए जाने का ही इतिहास है. कितने मजदूर जानते हैं कि कर्ज लेने वाले देशों पर "सहायता" के नाम पर आइ.एम.एफ. ने जो शर्तें थोपी हैं, उनके चलते कर्जदार देशों में विकसित पूँजीवादी देशों की बेकारी का निर्यात ही हुआ है और हजारों लोगों की रोजगार से हाथ धोने पड़े हैं. आइ.एम.एफ. से कर्ज लेने के बाद उदार आयात की जो नीति लागू की गई है, उसके चलते भारतीय बाजार में विदेशी मालों की आमद बढ़ी है और कुछ उद्योगों पर बुरा असर पड़ा है. कुछ उद्योगों से यह जायज शिकायत आ रही है कि विदेशी माल की इस बाढ़ के चलते मंदी के हालात पैदा हो गए हैं. आयात उदार बनाने के पक्ष में सरकार की दलील यह थी कि इसके जरिये कुछ उद्योगों की कच्चा माल उपलब्ध कराया जायगा और इस तरह इसका मकसद यही है

कि उत्पादन बड़े. अनधिकार माल निकले और निर्यात की प्रगति का आधार सुलभ हो. लेकिन वास्तव में इसका नतीजा यही हुआ है कि भारतीय रोजगारों में कमी हुई है या उद्योगों के सामान्य तौर पर काम करने में कठिनाइयाँ पैदा हो गई हैं. खुद सरकार भी उदार आयात के इन परिणामों की अनदेखी नहीं कर सकती है और इस साल के लिए नई आयात-निर्यात नीति तय करने के लिए उच्चस्तरीय कमिटी गठित करनी पड़ी है. विदेशी माल को भारत में पटकने की यह कोशिश इतने खुले तौर पर हो रही थी कि अबदूबर 1982 में भारत सरकार को एक विधेयक पास करके इसके खिलाफ कार्रवाई करने के अधिकार अपने हाथों में लेने पड़े.

यह भी ध्यान देने की बात है कि विदेशी सामान लाकर डालने की यह मुहिम सिर्फ तैयार मालों तक ही सीमित नहीं है. इस अभियान में हमारे देश पर ऐसी गई-बीती मशीनरी भी थोपी जा रही है जो विकसित देशों के लिए बेकार हो चुकी है. कुछ स्वार्थी पूंजीपति जल्दी से जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में इस मशीनरी तथा तकनीक का निर्यात कर रहे हैं और इस सजडोज के लिए शर्मनाक शर्तें स्वीकार कर रहे हैं. इस सिलसिले में टाइम्स आफ इंडिया लिखता है: "नई नीति में, चुनौती मामलों में तकनीक के आयात पर सही ही जोर दिया गया है. जैसी कि किलहाल स्थिति है, निजी और सार्वजनिक कंपनियाँ थोक के भाव तकनीक आयात कर रही हैं. ये कंपनियाँ हर साल औसतन 400 से 500 तक समझौते करती होंगी. इनमें से अधिकांश समझौतों में देश में ऐसी तकनीक आ रही है जिसे निर्यातकर्ता देश बरसों पहले छोड़ चुके हैं. लेकिन इन्हें स्वीकार करनेवालों को इसकी जरा भी परवाह नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि जिस "विक्रेताओं के बाजार" में वे काम कर रहे हैं उसमें वे कुछ भी बनायें मुनाफा मिलेगा ही. और इतनी ही दुःखद है वे शर्मनाक शर्तें जो निर्यात करनेवाली फर्म भारतीय कंपनियों पर लगा रही हैं और जिनके जरिये वे अपने ऊपर भारतीय कंपनियों का हमेशा निर्भर बना रहना सुनिश्चित कर रही हैं. जाहिर है कि अगर भारतीय कंपनियाँ इस आयातित तकनीक से आगे विकास करने की स्थिति में होतीं तो ये कंपनियाँ ऐसा नहीं कर सकती थीं....." वास्तव में यह है कि ऐसा लगता है कि मौजूदा स्थिति को बनाये रखने के लिए उनके साथ सरकार की मिली भगत है."

"मांग नियंत्रण" और मंदी

आइ एम एफ के इशारे पर सरकार तथाकथित मांग नियंत्रण की जिन नीतियों पर चल रहा है उनसे आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ी है और उत्पादन की रफ्तार में कमी तथा मंदी आई है. इन नीतियों का सार क्या है? कर्जों तथा मुद्रा सप्लाई पर नियंत्रण, ब्याज की ऊँची दरें और करों का

बढ़ता बोझ. ये कदम बढ़ी-चढ़ी मांग पर नियंत्रण के नाम पर उठाये गये थे, लेकिन इनका असली मकसद कीमतें बढ़ा कर आम जनता की मांग में कटौती करने का था, जो पहले ही आधी भुखमरी की हालत में पहुँच चुकी है. मुद्रा सप्लाई तथा मांग पर नियंत्रण के नाम पर मजदूरों पर बेतन जाम थोपने की कोशिश की गई है. सार्वजनिक उद्यम व्यूरो के निर्देश इसकी मिसाल है जिनमें मजदूरों में कुल मिलाकर 10 फीसदी से ज्यादा बढ़ोतरी न करने की व्यवस्था दी गयी है. जहाँ तक असंगठित मजदूरों का सवाल है उनके लिए यह जरा सी बढ़ोतरी भी नहीं है. मांग नियंत्रण के नाम पर उन्हें सीधे-सीधे भुखमरी के नर्क में धकेला जा रहा है. कर्जों में कमी और ब्याज की ऊँची दरों का बड़े पूंजीपतियों पर तो कोई खास असर नहीं पड़ा, लेकिन इसका असली निशाना बने छोटे उत्पादक. स्वाभाविक रूप से इन उत्पादकों से संबद्ध मजदूर भी इसका निशाना बने क्योंकि असंगठित होने के कारण वे अपने हितों तथा रोजगार की रक्षा करने की स्थिति में नहीं हैं.

यही नहीं, आइ एम एफ ने खाद्यान्न सम्बन्धी सस्तीडियॉ कम करने और ग्राम आदमों के लिए खाद्यान्नों की और महंगा करने की भी मांग की थी. बम्बई में अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों के सिलसिले में व्यापार रिसर्च व्यूरो ने आंकड़े इकट्ठे किए हैं. सम्बन्धित आंकड़ों की तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि पिछले एक साल में किस तरह ग्राम आदमों पर यह बोझ डाला गया है.

उपभोक्ता वस्तु	किस्म	प्रति किलो मूल्य रु. में		
		16 दिसम्बर 1982	16 दिसम्बर 1981	एक साल में % बढ़ोतरी
बावल	औसत	6.00	3.80	57.9
गेहूँ	"	4.60	3.90	17.9
ज्वार	"	3.00	2.30	30.4
दाल चना	"	5.50	6.00	-8.3
दाल अरहर	"	8.00	6.00	33.3
दूध (लीटर)	भैंस का	6.00	5.40	11.1
चाय	औसत	26.00	23.00	13.0
काँफी	"	20.00	17.50	14.3
मिट्टी का तेल (लीटर)		1.70	1.66	2.4
चीनी	औसत	4.50	6.00	-25.0
मूँगफली का तेल	"	15.60	14.50	7.6
वनस्पति तेल	"	17.00	15.00	13.3

आइ एम एफ के इशारे पर इस तरह मांग नियंत्रण किया जा रहा है और मुद्रा-स्फीति का मुकाबला किया जा रहा है!

मांग में कटौती के इस अभियान का भयानक बोझ देहाती गरीबों और असंगठित उद्योगों के मजदूरों पर पड़ा है। यह आकस्मिक नहीं है कि देश के प्रमुख कपड़ा उत्पादन केन्द्र बम्बई में एक साल से कपड़ा मजदूरों की हड़ताल होने के बावजूद आज़ाद में कपड़े की न तो कोई कमी दिखायी देती है और न कपड़ा मिलों के स्टॉक में ही कोई खास कमी आई है। क्यों न हो, देहाती गरीबों के पास कपड़ा खरीदने के लिए आवश्यक क्रय-शक्ति है ही नहीं। यह भी आकस्मिक नहीं है कि उसरी भारत में शीत लहर में 500 मौतें हो चुकी हैं। न्यूनतम मजदूरी कानूनों के बावजूद सेत-मजदूरों को पूरी तरह बेसहारा छोड़ दिया गया है और अगर वह विरोध में आवाज उठाता है तो उनके घर जलाकर خاک कर दिये जाते हैं, जैसा बिहार में और दूसरी जगहों में हो रहा है।

शहरों में भी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी कानून के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त नहीं है। सरकार की मांग नियंत्रण नीतियों का सारा बोझ उन्हीं को उठाना पड़ रहा है। जिन मजदूरों पर न्यूनतम मजदूरी कानून लागू भी होता है उन्हें भी देश की राजधानी समेत बड़े-बड़े शहरों में करीब-करीब बंधुवा मजदूर बनाकर रख दिया गया है। हाल ही में दिल्ली में एजिवाड के सिलसिले में जिन ठेकेदारों को लगाया गया था, उनके द्वारा न्यूनतम मजदूरी कानून के उल्लंघन के सिलसिले में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखल की गयी थी। गौर तलब है कि इस मामले में सरकार की ओर से जो एफ़ीडीबिट दिया गया, उसमें शौचालय आदि सुविधाएं न जुटाने के सिलसिले में ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाई की तो बात कही गयी थी, लेकिन न्यूनतम मजदूरी न दिये जाने का कहीं जिक्र नहीं था। इस सुनवाई के दौरान यह भी पता चला कि संबद्ध मजिस्ट्रेटों ने महत्वपूर्ण श्रम कानूनों के उल्लंघन को एक मजाक से ज्यादा महत्व नहीं दिया था। लिहाजा, सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ा कि :

इस परिणाम (अनक्सर) में दिये गये व्योरे से ऐसा लगता है कि ठेकेदारों के खिलाफ चलाये गये मामले मुख्यतः संबद्ध रजिस्टर न भरे जाने, प्राथमिक चिकित्सा तथा शौचालय-सुत्रालय आदि कल्याण तथा स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया न कराये जाने और मजदूरी की पंचियां न दिए जाने से ही सम्बन्धित हैं, हम ठेकेदारों के खिलाफ चलाये गये इन मामलों के व्योरे में नहीं जाना चाहते। लेकिन, यह देखकर हमें धक्का लगा है कि मजदूरों की भलाई के लिए बने श्रम कानूनों के मामलों में मजिस्ट्रेट सिर्फ दो-दो ही र. या उसके करीब जुमाना करते रहे हैं। ऐसा लगता है कि मजिस्ट्रेट श्रम कानूनों के उल्लंघन के मामलों को बड़े ही हल्के ढंग से ले रहे हैं। मामों में बहुत ही तुच्छ मामले हैं जिनमें सख्त से न्याय किये जाने की कोई

अवसर न हो। ऐसा लगता है कि वे इस बात की भूल रहे हैं कि ये कानून मजदूरों की भलाई के लिए बनाए गए हैं और मालिकान की छोटी-छोटी रकमों के जुमनि करके इन कानूनों का मतमाना उल्लंघन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मालिकान की ये जुमनि भरने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि जुमनि की रकम से कहीं ज्यादा मुनाफा तो उन्हें श्रम कानूनों का उल्लंघन करने से ही मिल जाता है।

इससे पता चलता है कि श्रम कानूनों की क्या हालत है और उनका पालन कैसा मजाक बनकर रह गया है। इसके चलते असंगठित मजदूर सरकार और मालिकान के सामने पूरी तरह असहाय होकर रह गये हैं।

बिगड़ती आर्थिक स्थिति

कामरेडो, अब मैं अपने देश और मजदूर-वर्ग के सामने मुंह बाये खड़ी गम्भीर आर्थिक स्थिति का जिक्र करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने 1982 के साल की "उत्पादकता वर्ष" घोषित किया था, लेकिन यह साल इसका ठीक उल्टा साबित हुआ। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जो कुछ कहती हैं और करती हैं, वास्तविकता में उसका उल्टा ही अर्थ निकलता है। प्रधानमंत्री धर्मनिरपेक्षता की तुहई देती हैं और उसी सांस में एक के बाद एक हरेक मन्दिर में मत्था टेककर अपनी भक्ति का प्रदर्शन करती हुई दिखायी देती हैं। जब वह राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता की तुहई देती हैं तो दूसरे ही क्षण त्रिपुरा तथा केरल में पृथकतावादियों तथा हर तरह की सांप्रदायिक ताकतों से हाथ मिलाती दिखायी देती हैं। वह "उत्पादकता वर्ष" की घोषणा करती हैं और वही वर्ष लम्बी-लम्बी हड़तालों, लातावादियों, मिल-बंदियों और आर्थिक विकास की दर मंदी होने का वर्ष साबित होता है।

आज देश के अनेक राज्य जबरदस्त अकाल के हालात की गिरफ्त में हैं और देहाती गरीब धीरे-धीरे करके भुखमरी की मौत की ओर धकेले जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ बिजली उत्पादन के क्षेत्र में पूरी अराजकता है। तमिलनाडु में बिजली की सप्लाई में 100 फीसदी कटौती के चलते सारे उद्योग ठप्प हो गये हैं। गुजरात, बिहार, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में पिछले साल भर में बिजली की सप्लाई में इतनी ज्यादा कटौती हुई है कि रोजगार और उत्पादन पर इसका भारी प्रभाव पड़ा है। अपनी प्रचार एजेंसियों के जरिये सरकार यह दावा करती रही है कि 1982 में बिजली उत्पादन में 7.5 फीसदी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन, वास्तव में ज्यादा बिजली मिलना तो बुर बिजली में और कटौती ही होती रही है जिससे उत्पादन अस्त-व्यस्त हो गया है। बिजली की इस अव्यवस्था की जिम्मेदारी केन्द्र तथा अन्य इन्दिरा कांग्रेसी सरकारों पर आती है।

विजली सप्लाई की यह अराजकता इन्दिरा कांग्रेसी योजनाओं का दिवालियापन ही जाहिर करती है और इसके साथ ही यह भी दिखाती है कि निकट भविष्य में अर्थव्यवस्था में सुधार की कोई उम्मीद नहीं है।

विजली की कमी के इस संकट की असली मार मजदूर-वर्ग पर पड़ी है जिसे छंटियों और मिल-बंदियों के हमले का निशाना बनना पड़ा है।

देहाती इलाकों में तो हालत बैसे ही खराब है और रबी की फसल से भी कोई खास राहत मिलने की संभावना नहीं है। खरीफ की फसल तो चौपट हो ही गई थी। इसका मतलब यही है कि दसियों लाख देहाती गरीबों के पास कृष-शक्ति ही नहीं है जिससे शहरों में औद्योगिक उत्पादन जारी रह सके।

1982 की औद्योगिक स्थिति और देहाती जनता की इस बढहाती दोनों को ध्यान में रखें तो स्पष्ट हो जायेगा कि आने वाला साल मजदूर-वर्ग के लिए और भी कठिनाइयों का साल होने वाला है। अगर मजदूर-वर्ग वक्त रहते नहीं चेतता तो वह रोजगार और वेतन स्तर के खिलाफ आनेवाले भयानक हमलों का मुकाबला नहीं कर पायेगा।

अभी हाल के एक सर्वेक्षण के अनुसार इंडोनिशिया उद्योग में हर महीने 1000 करोड़ का घाटा हो रहा है। सर्वे के अनुसार इस उद्योग में क्षमता उपयोग का स्तर लगातार गिर रहा है। जहाँ अप्रैल में कुल क्षमता के 70 फीसद हिस्से का इस्तेमाल हो रहा था वहाँ नवम्बर तक यह हिस्सा घटकर सिर्फ 60 फीसदी ही रह गया था।

अनेक उद्योगों में उत्पादन पर मंदी की छाया पड़नी शुरू हो गयी है। कपड़ा मशीनरी, कपड़ा, रासायनिक खाद, ट्रैक्टर, इस्पात आदि उद्योगों में स्टॉक बढ़ते जाते हैं और उत्पादन गिर रहा है। ट्रैक्टरों की ही बिक्री में 37 फीसदी कमी हुई है।

विशेष इस्पात उत्पादनों में तो अक्टूबर 1981 से ही गिरावट आ रही थी। जून 1982 तक इन इस्पात कारखानों में जमा स्टॉक बढ़कर 50 हजार टन हो चुका था।

उधर, रासायनिक खाद उद्योग में जुलाई के महीने तक जमा स्टॉक बढ़कर 7 लाख 70 हजार टन तक पहुँच चुका था।

जनवरी से जून 1982 तक के छः महीनों में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में कपड़ा उद्योग में धागे के उत्पादन में 8.9 फीसद और कपड़े के उत्पादन में 20.4 फीसद गिरावट हुई थी। 1982 के पूरे साल में पिछले वर्ष के मुकाबले धागे का उत्पादन 11 फीसद कम हुआ और कपड़े का उत्पादन 29 फीसद। बम्बई के कपड़ा उद्योग की लम्बी हड़ताल के बावजूद 1982 के अन्त में कपड़ा मिलों के पास बिके हुए और अनबिके कपड़े की क्रमशः 65 हजार और 91 हजार गाँठें पड़ी थीं

जबकि अक्टूबर 1981 के अन्त तक यह संख्या क्रमशः 62 हजार और 87 हजार थी।

1982 में जूट कपड़े का सिर्फ 10 लाख 63 हजार टन उत्पादन हुआ जो 1981 के 11 लाख 45 हजार टन के मुकाबले 7.9 फीसद कम है।

कुछ अन्य उद्योगों में उत्पादन के मामले में मामूली बढ़ोतरी हुई हो, फिर भी उत्पादन लक्ष्य से कम रहा है और इन उद्योगों में भी अनबिके माल के स्टॉक बढ़ रहे हैं।

मंदी का यह संकट अनेक उद्योगों में उत्पादन में गिरावट के रूप में तो सामने आ ही रहा है, इसके अलावा इसका एक दूसरा रूप यह भी है कि स्थापित क्षमता के 50 से 60 फीसदी हिस्से का ही उपयोग हो रहा है।

राहत के आसार नहीं

कामरेडों, यह साल, जो गुजरा है, मिल-बंदियों और ताला-बंदियों तथा इनके नतीजे में कम उत्पादन का साल रहा है। औद्योगिक उत्पादन की विकास दर घटकर 4 फीसदी रह गयी है। बहरहाल, नये साल में भी इस हालत से राहत मिलने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। न तो सरकार की नीतियों से मजदूर वर्ग और जनता की कोई राहत मिलने की उम्मीद बंधती है और न मालिकान की तरफ से ऐसी कोई आशा है। सरकार जनता पर करों का बोझ बढ़ाने पर तुली हुई है और तरह-तरह की तिकड़कों का सहारा ले रही है। संसद के पीछे पीछे जनता पर नये-नये करों का बोझ डालना अब सरकार ने तरीका ही बना लिया है। रोजगार की सुरक्षा के बजाय सरकार रोजगार पर नयों-नयी पाबन्दियाँ ही लगा रही है। जीवन बीमा निगम कर्मचारियों को साइको कंप्यूटरों की शुरूआत के रूप में इस हमले का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीयकृत और निजी बँकों में भी इसी तरह के कदम उठाये जा रहे हैं। अनेक औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अपने काम का एक हिस्सा कंप्यूटरों के जरिये कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सस्ती दरों पर निर्यात करना सरकार की मजबूरी बन गयी है और सरकार कपड़ा उद्योग तथा अन्य उद्योगों में आयुक्तिकीकरण को प्रोत्साहन दे रही है जिसके चलते हजारों मजदूरों को रोजगार से वंचित हो जाने का खतरा पैदा हो गया है।

बम्बई की कपड़ा मिलों में तो यह अभियान खासतौर पर ज़ोरों पर है जहाँ मालिकान अब हजारों मजदूरों को हमेशा-हमेशा के लिए बेरोजगार कर देने पर आमादा हैं। दूसरे निर्माणकारी उद्योगों में भी इस तरह के हमलों का होना लाजमी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतियोगिता के हिसाब से कीमतें कम किये वगैर भारत का निर्यात बाजार कायम नहीं रह सकता और इसके लिए वे एक ही रास्ता जानते हैं कि किसी तरह मजदूरी के भुगतान का हिस्सा कम किया जाय।

इसके अलावा भी मजदूरी के खिलाफ हमले का आम अभियान जारी है। सरकार और उसके अधीन सार्वजनिक क्षेत्र मजदूरी तथा वेतन में बढ़ोतरी के अपने विरोध के जरिए इस हमले की प्रगुआई कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारीगण सार्वजनिक उद्यम रूपों के निर्देश धोपने की कोशिश में इस्पात, कोयला तथा अन्य क्षेत्रों में यूनियनों के साथ नये समझौते लटकाये हुए हैं। केन्द्र सरकार खुद अपने विभागीय कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ाती ही जा रही है और विभिन्न क्षेत्रों में नयी भर्तियाँ करीब-करीब पूरी तरह रोक दी गयी हैं। कुछ विभागों के प्रशासक, कर्मचारियों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ट्रांसफर, 'काम नहीं तो वेतन नहीं' और सीधे-सीधे सेवाओं की बर्खास्तगी जैसी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सरकार की इन नीतियों से निजी मालिकान के भी होखले बड़े हैं और वे मजदूरों की हर मांग का प्रतिरोध कर रहे हैं। हड़तालों का जवाब पुलिस दमन से दिया जाता है और मजदूरों को आतंकित करने के लिए गूंडा गिरोहों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

सरकार खुद इंटक को प्रोत्साहन देने की अपनी नीति के जरिये औद्योगिक क्षेत्र में असंतोष और बढ़ा रही है। ऐसी जगहों पर भी जहाँ इंटक को मजदूरों का समर्थन प्राप्त नहीं है, उसे मजदूरों पर थोपा जा रहा है और मजदूरों को अपनी इच्छा के संगठन में जाने के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। सरकार मतदान के जरिये यूनियनों की मान्यता का मामला तय करने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि यह व्यवस्था इंटक के लिए फायदे की नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तक ने सरकार के एस्मा जैसे मजदूरविरोधी कानूनों पर नुस्ताखीमी की है, फिर भी सरकार अपना रुख बदलने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी ओर इंटक तथा दूसरी कई जैवी संस्थाओं की मदद से सरकार मजदूरों पर नया औद्योगिक विवाद कानून थोपने की कोशिश कर रही है ताकि संगठन बनाने, हड़ताल करने तथा अपनी मर्जी की यूनियन बनाने के उनके अधिकार में कतर-झोंत की जा सके। लगातार जारी दमन, नये-नये मजदूर-विरोधी कानून और आधुनिकीकरण तथा नियात अभियान के नाम पर रोजगार पर नये-नये हमले, यही है मजदूरों के प्रति सरकार की नीति का असली चेहरा। चलते-चलते यह भी याद दिला दें कि सरकार की श्रम नीति तय करने या मौजूदा विवादों के मामले में सरकार के रवये तथा लाइन को तय करने के मामले में भारत सरकार के श्रम विभाग और उसके श्रम मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है। इन सभी मामलों में विवाद से संबद्ध विभागों की ही चलती है। सरकार में श्रम मंत्रालय को बड़ी स्थान हासिल है जो हमारे समाज में मजदूरों की हासिल है।

मजदूर वर्ग को अगर अपने जीवन स्तर की रक्षा करनी है तो उसके एकजुट आंदोलन को अनेवाले महीनों में इन्हीं नीतियों का मुकाबला करना होगा। यह संघर्ष संकट के दुःप्रभावों के विरुद्ध है और सरकार की नीतियों के विरुद्ध है जो संकट का बोझ मजदूर वर्ग पर थोपना चाहती है। अपने हितों की रक्षा करने के लिए मजदूर वर्ग तथा ट्रेड यूनियन आंदोलन को अपने संघर्ष की आत्मकेन्द्रिता से उबरना होगा, आम जनता तथा किसानों के हितों की रक्षा करनी होगी और अपने आंदोलन को कहीं अधिक व्यापक रूप देना होगा। वक्त आ गया है कि ट्रेड यूनियन समझे कि देहाती जनता को समर्थन दिये वगैर और उसे आम संघर्ष में लीचे वगैर वे अपने लक्ष्यों को पाने में कामयाब नहीं हो सकती हैं।

आर्थिक सत्ता के सारे साधन केन्द्र सरकार के हाथों में हैं। लिहाजा प. बंगाल की जनता और वहाँ के मजदूर भी मंदी के असर से प्रछुते नहीं रह सकते हैं। इसके बावजूद प. बंगाल की सरकार जनता तथा मजदूरों के साथ है और उसने मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए हर सुविधा कोशिश की है। प. बंगाल सरकार ने मजदूर वर्ग के प्रतिरोध के खिलाफ किसी भी तरह की दमनकारी कार्रवाई करने से साफ इन्कार कर दिया है। संघर्षशील मजदूरों का साथ दिया है और घटना सेटों की अनेक साजिशों को विफल करने के लिए मजदूर वर्ग के पक्ष में अपनी पूरी शक्ति लगायी है।

अनेवाली सङ्घाइयों के लिए ट्रेड यूनियन आंदोलन की बहुत व्यापक एकता की जरूरत होगी। हमें खुशी है कि राष्ट्रीय अभियान समिति इस एकता को मजबूत करने की स्थिति में है। इस्पात, कोयला तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उद्योगों में जो एकता कायम हुई है उसे और मजबूत करता होगा और इस एकता को मजदूरों तथा कर्मचारियों के सभी तबकों की बहुत व्यापक एकता की शुरुआत बनाया होगा। इस एकता के जरिये ही हम सर पर मंडराते खतरे का मुकाबला कर सकते हैं।

हम बखई के पड़ा मजदूरों को उनके लंबे प्रतिरोध के लिए बधाई देते हैं। मजदूरों के हर हिस्से ने उनके इस शानदार प्रतिरोध की तारीफ की है। अपनी एक साल से भी लंबी हड़ताल से उन्होंने नया इतिहास बनाया है। पिछले कई बरसों में ऐसी दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी जब भूल, दमन और पुलिस की शौंस के बावजूद दो लाख मजदूरों ने साल भर तक अपनी एक-जुटा कायम रखी हो। इन दो लाख मजदूरों में हरिजन-नगर हरिजन, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी शरीक हैं, सबके सब एक साथ मजबूत एकता के धागों में बंधे हुए। मजदूर वर्ग की एक-जुटा इसी को कहते हैं।

नाचिकों की सफल हड़ताल के आयोजन के लिए हम अपनी फारवर्ड सीमेंस यूनियन को बधाई देते हैं। इस हड़ताल को

जुभाकर ट्रेड यूनियन आंदोलन की एक महत्वपूर्ण प्रगति मानना चाहिए और संघर्षशील नाविकों की मांगें पूरी कराने के लिए सौदों को हर मुमकिन मदद देनी चाहिए. इस सिलसिले में हम जहाजरानी सेवा कंपनियों के अग्रियलपने और सरकार के रवैये की कड़ी निंदा करते हैं.

कोयला मजदूरों ने अभी हाल में भारी दमन का सामना करते हुए एक दिन की सफल हड़ताल का आयोजन किया था. इसके बाद फिर अपनी मांगों के समर्थन में उन्होंने तीन दिन की हड़ताल की है. कोयला मजदूरों का ट्रेड यूनियन आंदोलन के जुभाकर दस्ते के रूप में सामने आना एक और बड़ी कामयाबी है जिसका हमारे आंदोलन के विकास के लिए भारी महत्व है. हम सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों के बीच बढ़ते जुभाकरूपन और उनकी एकता का भी जोरदार स्वागत करते हैं.

सौद, रेलवे मेल सर्विस (आर एम एस) के कर्मचारियों के साथ अपनी हमदर्दी तथा एकजुटता का इजहार करती है जिन पर डाक-तार विभाग नयी-नयी मुसीबतें डाल रहा है. डाक-तार विभाग ऐसी तब्दीलियां करने की कोशिश कर रहा है जो बहुत ही आपत्तिजनक हैं. इस फेरबदल के चलते एक ओर अग़र डाक के वितरण में देरी होगी तो दूसरी ओर कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ेगा. लेकिन, सरकार की नीतियों की तो दिशा ही यह है कि कर्मचारियों के जीवन स्तर पर हमले तेज किये जाएं.

जनवाद की लड़ाई

कामरेड, जहाँ हम अपने जीवन स्तर पर आने वाले फौरी हमलों का मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं हमें देश की जनवादी शक्तियों के प्रति, जनवादी अधिकारों तथा देश की एकता की रक्षा की लड़ाई के प्रति अपने कर्तव्यों को भी याद रखना है. इंदिरा कांफ़ेसी सरकार बात तो जनतंत्र की करती है, लेकिन वास्तव में वह किस्तों में तानाशाही थोप रही है. तीन राज्यों की जनता ने उसे ऐसी ठोकर मारी है जिससे उसका उबरना आसान नहीं है. लेकिन इसके साथ ही, यह सरकार बिहार प्रेस कानून जैसे कदम उठा रही है जो प्रेस की स्वाधीनता का गला घोटने की कोशिश को दिखाते हैं. हम प्रेस की स्वाधीनता पर इस खतरनाक हमले का विरोध करने वालों की आवाज में अपनी आवाज मिलाते हैं और बिहार में सौद की यूनियनों की बढ़ाई देते हैं जिन्होंने इस कदम को रद्द कराने के संघर्ष में अपना पूरा-पूरा योग दिया है. इस कदम का विरोध करने वाली शक्तियों के साथ सौद को अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए.

कामरेडो, सौद की बैठकों, उसके सम्मेलनों ने बार-बार जनता को फूटपरस्त ताकतों के खतरे के प्रति आगाह किया है

जो हमारे देश की एकता कमजोर करने की कोशिश करती हैं. पिछले कुछ अर्र्स में ये शक्तियाँ 'ख़ालिस्तान' जैसे पृथक्तावादी नारों के साथ खुले तौर पर सामने आ रही हैं. ये ताकतें जनता की कुछ जायज तकलीफों का फायदा उठाती हैं, कुछ जनवादी मांगें उठाती हैं और इसके साथ ही जन असंतोष को पृथक्तावादी, बिखंडनकारी या फिर सांप्रदायिक दिशा में मोड़ने की कोशिश करती हैं. सौद और उसकी यूनियनों का यह बुनियादी कर्तव्य है कि इन ताकतों का मुकाबला करे, मजदूर वर्ग की वर्गी एकता की रक्षा करे और पूरे देश की एकता की भावना को मजबूत करे.

त्रिपुरा की जनता की बंगालियों और आदिवासियों में बांटने का फूटपरस्त ताकतों का ठीक यही खेल था जिसे त्रिपुरा के हमारे कामरेडों ने नाकाम किया है और इसके लिए उन्हें विशेष रूप से बधाई दी जानी चाहिए. उनकी यह जीत इसलिए और भी महत्वपूर्ण है कि इन्दिरा कांफ़ेसी ने यहाँ पृथक्तावादी तथा अन्य फूटपरस्त ताकतों के साथ हाथ मिला रखा था.

असम के हमारे कामरेड आज चुनाव के मैदान में हैं जहाँ के देश की एकता और अपने वर्ग की एकता की लड़ाई लड़ रहे हैं. पिछले तीन सालों में असम की हमारी ट्रेड यूनियनों ने फूटपरस्त तथा पृथक्तावादी ताकतों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई चलाई है. वाम-पंथी पाटियों तथा अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर हमारी इन यूनियनों ने वहाँ राष्ट्रीय एकता का झण्डा बुलन्द रखा है. इस लड़ाई में हमारे अनेक कामरेडों को बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी हैं, हमारे कई कामरेड घायल हुए हैं, कई कामरेडों को चोटें घ्राई हैं और कई कामरेडों को शहादत देनी पड़ी है. हमें यकीन है कि उनकी ये कुर्बानियां, ये शहादतें बेकार नहीं जायेंगी. चुनाव की मौजूदा लड़ाई में सौद को उनकी हर मुमकिन मदद करनी है ताकि इस मुकाबले में भारत की एकता और मजदूर-वर्ग की एकता की शक्तियाँ विजयी होकर निकलें.

युद्ध के खिलाफ शांति के लिए

कामरेडो, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति आज भी बिगड़ी हुई है और युद्ध के बादल घने होते जा रहे हैं. अमरीकी साम्राज्यवाद हमलावर युद्ध की तैयारियों में लगा हुआ है और नाभिकीय युद्ध के खतरे का मुख्य स्रोत बना हुआ है. सोवियत संघ के जायज शांति प्रस्तावों को स्वीकार करने की उसकी कोई मंशा नहीं है. हालांकि दुनिया भर की शांति-कामी जनता ने इन

(शेष पृष्ठ सप्ताह पर)

संगठन को मजबूत करो : चुनौतियों का मुकाबला करो

सीढ़ की जनरल काउंसिल की हिन्द मोटर्स, पश्चिम बंगाल, में 21 से 23 जनवरी 1983 को सम्पन्न बैठक ने राज्य कमेटियों, संबद्ध यूनियनों तथा मजदूर वर्ग के सभी हिस्सों का आह्वान किया है कि वे अधिनायकवादी निजाम के बढ़ते हमलों का सामना करने के लिए संगठन को मजबूत बनाएं तथा अमरीका के नेतृत्व में साम्राज्यवादी देशों द्वारा पैदा किए गए युद्ध के बढ़ते खतरे के खिलाफ शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की मुख्यधारा में शामिल हों। इसने मजदूर वर्ग का यह भी आह्वान किया कि वह फूटपरस्त, सांप्रदायिक तथा पृथक्तावादी ताकतों का एकजुट होकर मुकाबला करे और राष्ट्र को एकता व अखंडता को बनाए रखे।

यह बैठक हिन्दुस्तान मोटर्स वर्कर्स यूनियन (सीढ़) द्वारा स्वर्गीय दिनेन भट्टाचार्य, सांसद, सी. पी. आई. (एम), जो इस यूनियन के अध्यक्ष तथा सीढ़ की वॉकिंग कमेटी के सदस्य थे, की याद में बनाए गए दिनेन स्मृति भवन में आयोजित की गयी थी। 20 जनवरी को स्वागत समिति के अध्यक्ष विजय मोडक, सांसद, ने दिनेन भट्टाचार्य की मूर्ति का अनावरण किया तथा सीढ़ के अध्यक्ष बी टी रणदिवे ने भवन का उद्घाटन किया। जनरल काउंसिल की बैठक की मेहमानवाजी करने के लिए यूनियन के मजदूरों ने दिन-रात काम करके भवन का निर्माण समय से पूरा किया।

अपने उद्घाटन भाषण में बी टी रणदिवे ने दिनेन भट्टाचार्य को प्रशंसा की कि वे मजदूर वर्ग के हित में निस्वार्थ भावना से लीन थे और मजदूरों का आह्वान किया कि वे वर्ग संघर्ष के आधार पर मार्क्सवादी सिद्धांतों के अनुसार संगठन को मजबूत करने के लिए उनके पदचिन्हों पर चलें। इस अवसर पर सीढ़ सचिव ई. बालानंदन, सांसद, सीढ़ के कोषाध्यक्ष, समर मुखर्जी, सांसद, सीढ़ सचिव नीरेन घोष, सांसद, त्रिपुरा के धम मंत्री श्रीरेन दत्ता तथा विजय मोडक, सांसद, ने भी अपने विचार रखे।

21 जनवरी को वॉकिंग कमेटी की एक संक्षिप्त बैठक के बाद, जिसे बैठक की कार्य-सूची तैयार करने के लिए रखा गया था, उद्घाटन अधिवेशन शुरू हुआ। स्वागत समिति के अध्यक्ष विजय मोडक के स्वागत भाषण के बाद अध्यक्ष ने शरीरों को अर्धजंजलि देते हुए और प्रमोद दास गुप्त व लियोनिद ब्रेकनेव पर शोक प्रस्ताव पेश किये जिन्हें बैठक ने पारित कर अपना लिया।

इसके बाद बी टी रणदिवे ने अपना अध्यक्षीय भाषण दिया जिसे इस क्रम में प्रकाशित किया गया है।

इस बैठक में 172 सदस्यों व 9 प्रेक्षकों ने हिस्सा लिया। बैठक ने एक प्रस्ताव उप-समिति चुनी जिसके सदस्य थे: ए. नत्तासिबम् (संयोजक), के रमणी, सुनील वसु राय, बिरेन राय, के. एन. रवीन्द्रनाथ व पी. के गांगुली। बैठक ने एक क्रेडेंशियल कमेटी भी चुनी जिसके सदस्य थे पारसा सत्यनारायण (संयोजक), एम. एम. लारेंस तथा काली घोष।

पी. राममूर्ति का भाषण

महासचिव पी. राममूर्ति ने अपनी मौखिक रिपोर्ट में सदस्यों का ध्यान आकृष्ट किया कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकट और गम्भीर होता जा रहा है जिसके कारण मजदूर-वर्ग व मेहनतकश जनता पर हमले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमरीकी साम्राज्यवादी जनता को नाभिकीय युद्ध की धमकी दे रहे हैं। सोवियत संघ ने युद्ध के खतरे को खत्म करने के लिए कई ठोस सुझाव दिए हैं लेकिन अमरीका ने इन सभी सुझावों को नार्मल कर दिया है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक देशों ने गहरे संकट से, जिसमें वे प्रस्त हैं, निकलने के लिए एकमात्र साधन के रूप में अस्त्र-होड़ की चुना है। विश्व-युद्ध के खतरे के खिलाफ सीढ़ दूढ़ता के साथ खड़ी होनी चाहिए और युद्ध के खिलाफ जन-संघर्ष चलाने के लिए मजदूर वर्ग व जनता को लामबंद करना चाहिए। उन्होंने फूटपरस्त ताकतों की भी बर्बादी की जो जनता की एकता और राष्ट्र की अखण्डता को चुनौती दे रही हैं। इन ताकतों को विदेशी एजेंसियां प्रोत्साहन दे रही हैं। असम, मिपुरा व पंजाब और विभिन्न स्थानों पर सांप्रदायिक दंगों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये ताकतें ट्रेड यूनियन आन्दोलन में घुसने की कोशिश कर रही हैं, और अपनी घिनौनी साजिशों के लिए बेरोजगारों व गरीब जनता को इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने केन्द्रीय सरकार की इन ताकतों को प्रोत्साहन देने के लिए निन्दा की और कहा कि फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ जनता को बचाने के लिए सीढ़ को नेतृत्व संभालना होगा। गहराते आर्थिक संकट के बारे में पी राममूर्ति ने कहा कि भारत सरकार इस संकट का सामना नहीं कर सकती क्योंकि यह विकास का पूंजीवादी रास्ता अपना रही है और पहले से ही संकट-ग्रस्त पूंजीवादी देशों पर निर्भर कर रही है। उन्होंने सदस्यों का आह्वान किया कि वे सीढ़ को मजबूत बनाएं ताकि यह अधि-

नायकवादी व फूटपरस्त ताकतों का और साथ ही युद्ध के खतरे का कामयाबी के साथ मुकाबला कर सके, उन्होंने कहा कि शांति के लिए संघर्ष एकता के लिए संघर्ष है और साम्राज्यवाद व पूँजीवाद के खिलाफ संघर्ष है.

कार्य-रिपोर्ट

सोद्ग की गतिविधियों की जनरल रिपोर्ट नृसिंह चक्रवर्ती, सचिव, ने पेश की. रिपोर्ट में खासतौर से बकिंग कमेटी की पिछली बैठक के बाद के दौर में बढ़ते संघर्षों और स्वतंत्र व उन संघर्षों के साथ, जिन्होंने ट्रेड यूनियन आंदोलन को एक नया मोड़ दिया है, एकजुटता को सोद्ग की गतिविधियों की चर्चा की गयी. ये संघर्ष केवल आर्थिक लाभों के लिए नहीं थे बल्कि भारी दमन का सामना करते हुए बोलने की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए तथा एम्मा, एन एस ए, व अन्य काले कानूनों के खिलाफ किए गए थे. रिपोर्ट में पत्रकारों, आकाशवाणी व दूरदर्शन कर्मचारियों, शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, कोयला मजदूरों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों तथा मजदूरों के विभिन्न हिस्सों के राज्यानुसार अन्य संघर्षों की चर्चा की गयी.

इस दौरान में सोद्ग के नेतृत्व में हुए प्रसिद्ध संघर्ष थे नाविकों की 72 घण्टे की हड़ताल, पश्चिम बंगाल व उत्तर प्रदेश में जूट मजदूरों के संघर्ष, बीड़ी मजदूरों के संघर्ष, ग्गुनतम बेतन के लिए संघर्ष, आदि.

दमन

रिपोर्ट में मालिकान तथा भारत सरकार द्वारा किए जा रहे बढ़ते दमन की, विभिन्न जगहों पर पुलिस गोलीबारी तथा गुंडा हमलों की, जिससे कई मजदूर खास तौर से सोद्ग कार्यकर्ता मारे गए, चर्चा की गयी. लगभग सभी राज्यों में दमन व्यापक होता जा रहा है. केवल पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा में दाममोर्चा सरकारें मजदूरों के आन्दोलनों का दृढ़ता के साथ समर्थन करती रहीं. तमिलनाडु में ए आई ए डी एम के सरकार द्वारा किए जा रहे दमन ने गम्भीर रूप धारण कर लिया है जहां इन्क तक संघर्षों के संयुक्त मोर्चे में शामिल हो गयी है. पंजाब की भी यही हालत है जहां महिला मजदूरों तक को नहीं छोड़ा गया. असम में सोद्ग कार्यकर्ता अर्द्धकासीवादी हमलों का प्रतिरोध करते रहे हैं.

सोद्ग का पांचवा सम्मेलन

सोद्ग के पांचवें सम्मेलन को कानपुर में 13 से 17 अप्रैल 1983 को आयोजित करने के सकेटेरियट के फैसले को जनरल काउंसिल ने स्वीकार कर लिया. 500 सदस्यों पर एक प्रतिनिधि के आधार पर प्रतिनिधियों की कुल संख्या 2,500 तय की गयी है. यूनियनों की सदस्यता 500 से विभाजित करने पर

जो संख्या बच जाती है ऐसी सभी संस्थाएं एक राज्य के लिए जोड़कर उसी आधार पर प्रतिनिधि दिए जाएंगे. सभी यूनियनें अपनी 31 दिसंबर 1981 तक की सदस्यता प्रमाणित करने के लिए 1981 तक का अपना संबद्धता शुल्क 15 फरवरी 1983 तक चुकता करेंगी. उसके बाद सकेटेरियट 28 फरवरी 1983 तक प्रतिनिधित्व तय करेगा जिसके आधार पर राज्य कमेटियां स्थानीय, क्षेत्रीय व उद्योगानुसार प्रतिनिधि चुनेंगी ताकि छोटी यूनियनों के हितों की रक्षा की जा सके.

शांति व एकजुटता दिवस : शांति मार्च

डब्लू एफ टी यू के आह्वान पर सोद्ग के फैसले के अनुसार समूचे देश में 1 सितंबर 1982 को शांति व एकजुटता दिवस मनाया गया. कई जगहों पर राज्य कमेटियों ने इसे एटक के साथ मिलकर आयोजित किया. भारी रैलियां, जुलूस व प्रदर्शन आयोजित किए गए और अमरीकी युद्ध तैयारियों के खिलाफ पोस्टर लगाए गए तथा पच्चे बांटे गए.

इसी तरह, सभी राज्यों से मजदूर 4 अक्टूबर 1982 को शांति मार्च में भाग लेने के लिए दिल्ली आए. राज्य कमेटियों का आह्वान किया गया था कि वे शांति के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाएं तथा अमरीका के नेतृत्व में साम्राज्यवादी देशों की युद्ध साजिशों को बेतकाब करें. राज्य कमेटियों से अनुरोध किया गया था कि वे इन संघर्षों की नियमित रिपोर्ट भेजें.

राजस्थान पर फैसला : मोहन पुनमिया निष्कासित

रिपोर्ट में मोहन पुनमिया, महावीर सिंह हांडा, पुर्णानंद व्यास और परमेश नाथ डांडा की गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गयी थी. उनकी गतिविधियों में पुनमिया के नेतृत्व में भारी व्यक्तिवादी कार्य, यूनियनों से इकट्ठा की गयी संबद्धता फीस तथा हिसाब-किताब न देने जैसी अष्ट गतिविधियां और विभिन्न स्थानों पर यूनियनों के चुनावों का न कराना शामिल था. प्रबंधकों के साथ उनकी साठगांठ से यूनियन मजदूरों का उत्पीड़न व उनकी पिटाई हुई. इसके अलावा, मोहन पुनमिया के समर्थन से पी. एन. डांडा औद्योगिक प्रतिष्ठानों के गेयर से संबंध रखता आ. बंगलौर बकिंग कमेटी की नेतावनी के और कोटा में 11-12 सितंबर 1982 को सोद्ग का राज्य सम्मेलन आयोजित किए जाने के बावजूद पुनमिया तथा उसके सहयोगियों ने जयपुर में 14-15 सितंबर 1982 को सोद्ग के नाम पर एक समानांतर सम्मेलन आयोजित किया और एक समानांतर संस्था बनायी जिसका नाम हिंदी में राजस्थान ट्रेड यूनियन केंद्र रखा जिसका अंग्रेजी में अर्थ है राजस्थान सेंटर आफ ट्रेड यूनियन. सोद्ग के समर्थकों में भ्रम पैदा करने के लिए ऐसा जानबूझकर किया गया. डांडा के रूप ने की एम एस से हाथ मिलाकर जे.के. सिंघेटिवस कीआप्रेतव सोसाइटी के बनाव में सोद्ग के अधिकृत उम्मीदवारों तक का विरोध किया लेकिन यह रूप सभी सीटों पर बुरी तरह हार गया.

विस्तार से बहस करने के बाद जनरल काउंसिल ने सेक्रेटेरियट के फैसले को स्वीकार कर लिया तथा मोहन पुन-मिया को, जिसने सीटू के सचिव पद से व राजस्थान राज्य सीटू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जनरल काउंसिल से पी. एन. डांडा के साथ साथ निष्कासित कर दिया। महावीर सिंह डांडा व पूर्णनन्द व्यास के बारे में जनरल काउंसिल ने सेक्रेटेरियट को यह अधिकार दिया कि यह उन्हें चार्जशॉट दे और उनसे कोई जवाब न मिलने पर या जवाब असंतोषजनक होने पर उन्हें निष्कासित कर दे।

सीटू की पत्रिकाएं

मजदूर वर्ग में विचारधारात्मक अभियान चलाने के नजरिये से सीटू की तीन पत्रिकाओं, दि बकिंग क्लास, सीटू मजदूर तथा दि वाइस आफ दि बकिंग वर्मैन, की महत्ता पर विचार किया गया और इन तीनों पत्रिकाओं के पृष्ठ बढ़ाकर 24 करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही न्यूजप्रिंट, मुद्रण व डाक खर्च में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए हर पत्रिका की कीमत एक रुपया कर दी गयी। मई व नवम्बर अंक विशेषांक हुआ करेंगे जिसमें विशेष लेख होंगे और उनकी कीमत 2 रुपये होगी। बकिंग कमेटी व जनरल काउंसिल की हर बैठक के बाद इन पत्रिकाओं के पृष्ठ अधिक हो सकते हैं। मजदूर वर्ग में विचारधारात्मक अभियान को तेज करने के लिए बैठक ने राज्य कमेटीयों से अनुरोध किया कि वे इन पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए संघर्षों की रिपोर्टें नियमित रूप से भेजें। पत्रिकाओं की बिक्री की वृद्धि के नजरिये से इसने राज्य कमेटीयों से यह भी अनुरोध किया कि वे राज्य कमेटीयों की बैठकों में पत्रिकाओं की बिक्री का भी जायजा लें। दि वाइस आफ दि बकिंग वर्मैन के सम्बन्ध में खास तौर से इस बात पर जोर दिया गया कि कामगार महिलाओं में विचारधारात्मक अभियान चलाने और उन्हें ट्रेड यूनियनों में संगठित करने की जरूरत है।

यूनियन संबद्ध व असंबद्ध

क्रैडेंशियल कमेटी ने 25 हजार सदस्यों की 116 यूनियनों को संबद्ध करने की सिफारिश की। मध्य प्रदेश राज्य कमेटी के मुभाव पर इसने एच एस सी एल वर्कमैन यूनियन को सीटू विरोधी गतिविधियों के कारण सीटू से असंबद्ध करने की सिफारिश की। जनरल काउंसिल ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया।

राष्ट्रीय अभियान समिति

सीटू सचिव एम. के. पंथे ने राष्ट्रीय अभियान समिति की गतिविधियों पर रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में 1978 में औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक पेश किए जाने के बाद बनी राष्ट्रीय अभियान समिति के विकास और इसके भंडे के नीचे खासतौर

से कांग्रेस (आई) के फिर से सत्ता में आने के बाद आयोजित एकजुट संघर्षों के विकास को रूपरेखा पेश की गयी। 4 जून 1981 के बम्बई सम्मेलन के बाद, जब सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन व अनेक राष्ट्रीय फेडरेशन सरकार की श्रमविरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए एक संयुक्त मंच पर इंटक को अलग करते हुए व इसे अल्पसंख्यक ताकत बनाते हुए आयी, अभियान समिति की प्रगति महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसने किसानों व खेतमजदूरों के हितों का भी नेतृत्व किया इसलिए यह एकता और भी महत्वपूर्ण हो गयी। राष्ट्रीय अभियान समिति ने 17 अगस्त 1981 को एम्मा के खिलाफ देशव्यापी प्रतिरोध दिवस आयोजित किया, 23 नवम्बर 1981 को संसद पर ऐतिहासिक मार्च तथा 1982 में 19 जनवरी को औद्योगिक हड़ताल आयोजित की। इसने 19 जनवरी की हड़ताल में हिस्सा लेने के लिए मजदूरों के सभी उत्पीड़न समाप्त किए जाने की मांग करते हुए 23 फरवरी को उत्पीड़न विरोधी दिवस मनाने के लिए मजदूरों को आमन्त्रित किया। इसने चार ट्रेड यूनियन विरोधी काले विधेयकों के खिलाफ 8 जुलाई को एक और प्रतिरोध दिवस आयोजित किया। राष्ट्रीय अभियान समिति ने 1982 को उत्पादकता वर्ष मनाने के सरकार के एकतरफा फैसले और उसकी पहले से निर्धारित नीतियों को लागू करने के खिलाफ अपना प्रतिरोध सरकार द्वारा बुलाई गई दोनों उत्पादकता बैठकों का बहिष्कार करके और फिर तथाकथित राष्ट्रीय त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन का बहिष्कार करके व्यक्त किया।

सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी

हालात की पुकार पर राष्ट्रीय अभियान समिति सामने आयी और उसके बाद सरकार के अधिनायकवादी कदमों के खिलाफ प्रतिरोध किया। व्यूरो ऑफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज के खिलाफ अपनी एकता प्रदर्शित करने के लिए और सामूहिक सौदेबाजी के अपने अधिकार पर बल देने के लिए इसने सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को एक संयुक्त मंच पर आमन्त्रित किया। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के सम्मेलन के अलावा इसने भेल, कोयला तथा इस्पात उद्योगों में भी सफल संयुक्त सम्मेलन आयोजित किए। कोयला मजदूरों की 8 नवम्बर की सफल हड़ताल ने और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के 28 जनवरी को हड़ताल करने के फैसले ने केन्द्रीय वित्त-मंत्री को सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों को बातचीत के लिए बुलाने के लिए मजबूर कर दिया। बढ़ते संघर्षों के दबाव ने वित्त-मंत्री को महंगाई-भत्ते में वृद्धि की मात्रा तय करने के लिए एक त्रिपक्षीय कमेटी बनाने के लिए मजबूर कर दिया। वित्त-मंत्री वी पी ई के निर्देशों में परिवर्तन करने के लिए तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की कार्यप्रणाली से समूचे सबाल पर विचार करने के लिए भी राजी हो गए। इस प्रकार सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में हड़ताल

करने के फैसले को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। लेकिन सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार की स्थापना के लिए संघर्ष जारी रहेंगे। खासतौर से कोयला उद्योग में 17 से 19 जनवरी तक 72 घण्टे की गौरवमयी हड़ताल ने सी आई एल की जे बी सी सी आई में इंटक का भारी प्रतिनिधित्व रखने की जोड़तोड़ को एक बार फिर धरासायी कर दिया।

इसके अलावा, राष्ट्रीय अभियान समिति ने मजदूरों के विभिन्न हिस्सों के संघर्षों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए कार्यवाहियाँ आयोजित कीं। बम्बई के कपड़ा मजदूरों की ऐतिहासिक हड़ताल के समर्थन में अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए इसने 21 दिसम्बर को कपड़ा मजदूरों की एक सफल अखिल भारतीय हड़ताल आयोजित की।

सीटू की भूमिका

राष्ट्रीय अभियान समिति में सीटू की पहलकदमी व भूमिका पर रिपोर्ट में प्रकाश डाला गया। राज्य कमेटियों तथा सीटू से सम्बद्ध यूनियनों ने विपक्ष व दमन का सामना करते हुए हड़तालों को आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सीटू की स्वतंत्र भूमिका ने संघर्षों को और भी गौरवमयी बना दिया और मजदूरों में ज्यादा गहराई तक पहुंचने में राष्ट्रीय अभियान समिति की मदद की। सीटू की लगातार और अधिक दृढ़ भूमिका देश में बढ़ते अधिनायकवाद के खतरे के खिलाफ एकजुट संघर्षों की मुखधारण में मजदूरों के नए-नए हिस्सों को लाने में और उन्हें अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा पैदा किए युद्ध के बढ़ते खतरे के खिलाफ शांति के लिए जन-कार्यवाहियों का नेतृत्व करने में मददगार साबित होगी। यह वह महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें राष्ट्रीय अभियान समिति अभी तक घुस नहीं पाई है।

कनफेडरेशन

राष्ट्रीय अभियान समिति की बढ़ती कार्यवाहियों के साथ-साथ, एक आम कार्यक्रम पर संघर्षों का मार्गदर्शन करने के लिए एक ठोस उपकरण को शकल देने की जरूरत है। एक कनफेडरेशन बनाने का सीटू का प्रस्ताव, जिसे शुरू में कोई खास ध्यान नहीं मिला, अब राष्ट्रीय अभियान समिति के घटकों के विभाग में रमने लगा है और उन्होंने इसके बारे में अनौपचारिक रूप से सवाल करने शुरू किए हैं। तेज संघर्षों के अलावा इंटक को संरक्षण देने की सरकार की नीति को भी भारी धक्का लगाया क्योंकि सरकार की अम-विरोधी नीतियों को चुनौती देने के लिए देश में यही एक अकेला सबसे बड़ा एकजुट संगठन होगा।

राज्यों की रिपोर्टें

विभिन्न राज्यों के सदस्यों ने अपने अपने संघर्षों तथा मासिकान व कांग्रेस (आई) सरकारों के बढ़ते हमलों के खिलाफ

संघर्ष करने के लिए अन्य ट्रेड यूनियन केंद्रों के साथ संयुक्त मोर्चे बनाने में अपनी कोशिशों की रिपोर्टें दीं।

बी. पी. चितन ने तमिलनाडु में एआई डी एम के सरकार की अम-विरोधी नीतियों के बारे में बताया और कहा कि इस द्वारा कपड़ा, परिवहन, नैयबेली लिन्नाइट कार्पोरेशन, आदि के संघर्षों के खिलाफ अश्वमेध लागू किये जाने से सरकार एआई डी एम के की यूनियनों को छोड़कर ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चे के साथ सीधे टकराव के रास्ते पर आ गयी है। विभिन्न मामलों में इंटक तक भी संघर्षों में शामिल हो गयी है। समूचे राज्य में 22 दिसंबर को एक भारी प्रतिरोध दिवस मनाया गया। उन्होंने राज्य में आयोजित की गयी शांति रैली के बारे में भी बताया।

एन. पदमासोचनन ने यूडीएफ सरकार की बढ़ती अम-विरोधी नीतियों की चर्चा की। क्लोजर, तालाबंदी, कीमती वृद्धि के खिलाफ तथा मजदूरों की मांगों पर सीटू ने कई जत्थे आयोजित किए। राज्य में काजू, न्वायर व रबड़ उद्योग केंद्र व राज्य सरकारों की गलत नीतियों के कारण संकट का सामना कर रहे हैं। आंदोलनकारी मजदूरों को गिरफ्तार किया गया। मजदूर 20 जनवरी से लगातार हड़ताल पर हैं। उन्होंने राज्य में आयोजित भारी शांति रैलियों की भी चर्चा की। उन्होंने सांप्रदायिक झगड़ों के लिए यूडीएफ सरकार को जिम्मेदार ठहराया और मजदूर वर्ग व जनता को एकजुट करने में सीटू की भूमिका की जानकारी दी।

जगजीत सिंह लायलपुरी ने पंजाब में पृथक्तावादी खालिस्तान आंदोलन की चर्चा की और फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ मजदूर वर्ग को लामबंद करने में सीटू की भूमिका पर प्रकाश डाला। राज्य में उपपक्षियों ने सीटू के कई कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी थी। उन्होंने राज्य में ठेका मजदूरों की समस्याओं पर प्रकाश डाला। ठेका मजदूर राज्य में भारी तादात में हैं और ये खासतौर से विभिन्न डैमों में काम करते हैं। राज्य सरकार ने मजदूरों के खिलाफ भारी दमन की नीति अपना ली है। सभी प्रकार के दमन का सामना करते हुए सीटू यूनियन में मासिकान के खिलाफ तथा न्यूनतम वेतन के लिए जुमाऊ संघर्ष करती रही हैं।

हरसहाय सिंह ने उत्तर प्रदेश में संघर्षों की, खासतौर से चीनी, कपड़ा, इंजीनियरिंग व जूट उद्योग के मजदूरों के, रूप-रेखा पेश की। इंटक के गुंडों के कातिलाना हमलों का सामना करते हुए इन उद्योगों में सीटू यूनियन जबरदस्त संघर्ष करती रही है।

बंजी प्रसाद ने बिहार में शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों पत्रकारों, विद्युत मजदूरों व अन्य मजदूरों के गौरवमयी संघर्षों की चर्चा करते हुए बताया कि ये संघर्ष राज्य सरकार के बर्बर दमन तथा मुख्यमंत्री द्वारा बार-बार 'खेलते ही गोली मारते' के आदेश दिए जाने के बावजूद किए गए हैं।

श्रद्धानंद सोलंकी ने बताया कि हरियाणा की मजदूरों को सरकार खर्बर दमन कर रही है और मालिकान को खुले आम समर्थन दे रही है। गिरफ्तारियों व पुलिस गोलीबारी के बावजूद सीटू मजदूरों के लिए लगातार संघर्षरत रही है। उन्होंने न्यूनतम वेतन के लिए राज्यव्यापी संघर्ष की भी बर्बा की।

कमल सरकार ने पश्चिम बंगाल में जूट, बागान, बीड़ी जैसे उद्योगों में विभिन्न हड़ताली संघर्षों तथा जनवादी आंदोलनों के बारे में जानकारी दी और बताया कि वाममोर्चा सरकार मजदूरों को अपना समर्थन देती रही है।

सभी राज्यों से सदस्यों ने बहस में हिस्सा लिया।

प्रस्ताव

कुल मिलकर 30 प्रस्ताव सामने आए। प्रस्ताव समिति ने सभी प्रस्तावों को पड़ा। केवल कुछ प्रस्तावों को छोड़कर जिन्हें समय की कमी की वजह से पेश नहीं किया जा सका सभी प्रस्तावों को पेश किया गया और उन्हें अपना लिया गया। जो प्रस्ताव पेश नहीं किए जा सके उन्हें अपनाए जाने के लिए सेक्रेटेरियट को सौंप दिया गया। कुछ प्रस्ताव इस अंक में प्रकाशित किए जा रहे हैं।

बी टी आर द्वारा समापन

शुरू में बी.टी. आर. रणदिवे ने घोषणा की कि सीटू की पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी ने कानपुर में होने वाले सीटू के पांचवें सम्मेलन के लिए एक लाख रुपये का अनुदान देना स्वीकार कर लिया है। उन्होंने जनरल काउंसिल की कामयाबी के साथ मेहमानबाजी करने के लिए हिंदुस्तान मोटर्स वर्क्स यूनियन तथा पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी को धन्यवाद दिया। बी.टी. आर. ने कहा कि जनरल काउंसिल की बैठक फलदायक रही क्योंकि कई राज्यों ने रिपोर्टें पेश कीं और सदस्यों ने केवल विषय पर ही बातचीत की। उन्होंने अपने अनुभव बताए— संकट की गहनता, हमलों तथा संघर्षों का अनुभव, संयुक्त मंच की गतिविधियाँ ज्यादा से ज्यादा कारगर हो रही हैं। लेकिन हमारा ट्रेड यूनियन आंदोलन कामगार महिलाओं के प्रति क्या कर रहा है। अमरीकी एजेंसियाँ कामगार महिलाओं को प्रभावित कर रही हैं। वे महिलाओं को पुरुषों के खिलाफ खड़ा कर रही हैं। हमारे संगठन को इस संबंध में अपनी कमियों के प्रति सही समझ होनी चाहिए। विकसित पूँजीवादी देशों में भी इस पहलू की ओर ध्यान दिया जा रहा है। डब्लू. एफ. टी. यू. ने कामगार महिलाओं पर एक अलग से सम्मेलन आयोजित किया।

ग्रांध्र प्रदेश में चुनाव परिणामों के बारे में उन्होंने कहा कि हालाँकि हम खुश हैं कि कांग्रेस (आई) हार गई है लेकिन हमें इस पर खुशी नहीं है कि हम नयी बनी पार्टी के प्रभाव को लांच नहीं सके। एक ऐसी खास सीमा होती है जिसके बाद

आर्थिक संघर्ष मजदूरों की बेतना नहीं बढ़ाते हैं। बुजुर्ग विचार-धारा का प्रभाव मजदूरों का ध्यान केवल आर्थिक संघर्षों की ओर परिवर्तित कर देता है। जनता यह जानना चाहती है कि कौन सा संगठन लाभ दे सकता है। क्योंकि वे कांग्रेस (आई) से निराश हो गए थे इसलिए वे किसी भी ऐसी पार्टी की तरफ झुक गए जो विकल्प दे सकती थी। यदि हम विचारधारात्मक रूप में उनके बीच नहीं जाएं तो उनमें दुर्लभमूलन रहेगा। किसी भी संगठनात्मक अनुशासन की कमी हमारे सामने परेशानियाँ खड़ी करेगी।

बंबई के कपड़ा मजदूरों के संघर्ष के बारे में बी.टी. आर. ने कहा कि महाराष्ट्र में मजदूर वर्ग का एक बड़ा हिस्सा है। यदि वह हमारे साथ हो तो हम पश्चिम बंगाल के साथ मिलकर भारत के समूचे मजदूर वर्ग को लाभबंद कर सकते हैं। इसकी सही समझ होनी चाहिए कि कब संघर्ष करें, किस पर संघर्ष करें, आदि। यदि वामपंथ मजदूर वर्ग को अपने साथ नहीं कर पाता है तो वह दूसरों की तरफ मुड़ता है। कपड़ा मजदूरों में इंक का घराशाही होना उन्हें सीटू के खेमों में नहीं लाया है। जब तक हम गैर-सीटू संगठनों के मजबूत गढ़ों को नहीं तोड़ते, सीटू का आगे विकास नहीं हो सकता।

युद्ध के खिलाफ और शांति के लिए संघर्ष के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम समाजवादी दुनिया के खिलाफ साम्राज्यवादी युद्धोन्माद का ठोस रूप से मुकाबला कर रहे हैं। इसके साथ कोई और मुद्दा नहीं मिलाया जा सकता।

बिरेन राय द्वारा उठाए गए पश्चिम बंगाल में ट्रेड यूनियन संघर्षों के सवाल पर बी.टी. आर. ने कहा कि वर्ग संघर्ष को केवल आर्थिक मांगों पर ट्रेड यूनियन संघर्ष के रूप में नहीं देखना चाहिए— इसे राजनीतिक संघर्ष के रूप में देखना चाहिए। जब बड़े राजनीतिक मुद्दों दाब पर लगे हों तो ट्रेड यूनियन संघर्ष ज्यादा महत्वशाली नहीं हो सकते।

फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ संघर्ष के बारे में उन्होंने सोवियत संघ की उदाहरण दी जहाँ राष्ट्रीयता मजदूर वर्ग एकता पर आधारित है। फूटपरस्त ताकतें मजदूर वर्ग की एकता पर हमला करती हैं। उन्होंने कहा कि हमारी स्वतंत्रता वास्तविक नहीं है, यह साम्राज्यवाद व सामंतवाद के साथ समझौता है। बुजुर्ग-जमींदाराना सरकार राष्ट्रीय विघटन का आधार है। दुर्भाग्य से हमारे मजदूर इस चक्कर में घ्रा जाते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या हमारे मजदूर खालिस्तान या सिखवाद पर जेल जाएंगे? हमारे मजदूरों को यह जानना चाहिए कि हमारा संघर्ष वर्ग के खिलाफ वर्ग पर है।

समापन करते हुए बी.टी. आर. ने सदस्यों, राज्य कमेटियों और संबद्ध यूनियनों का आभार किया कि वे संगठन को (शेष पृष्ठ इसकीस पर)

जनरल काउंसिल द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव

कामरेड प्रमोद दासगुप्त पर

कामरेड लियोनिद ब्रेझ्नेव पर

सोद् की जनरल काउंसिल की हिंद मोटर्स में 21 से 23 जनवरी 1983 को संपन्न यह बैठक भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के पोलिट ब्यूरो के सदस्य, पार्टी की पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी के सचिव और पश्चिम बंगाल के वाममोर्चे के अध्यक्ष कामरेड प्रमोद दासगुप्त के निधन पर गहरा शोक प्रकट करती है.

1910 में जन्में कामरेड प्रमोद दासगुप्त 1921-22 में पश्चिम बंगाल में जारी क्रांतिकारी आंदोलन में कूद पड़े. 1979 में मध्यमा वाजार बम विस्फोट के सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. इस मामले में निर्दोष साबित होने के बावजूद ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें बिना मुकद्दमा चलाए 7-8 साल तक विभिन्न जेलों और देवली नजरबंदी शिविर में बंद रखा. 1 मई 1938 को उन्होंने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ली और 1961 में इसकी पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी के सचिव तथा केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य चुने गए. वे 1964 में सी पी आई (एम) के पोलिट ब्यूरो में चुने गए. अपने 60 साल से खंबे राजनीतिक जीवन में उन्हें ब्रिटिश हुकूमत के जमाने में और आजादी के बाद भी कई कई बार जेलों में डाला गया और कई बार भूमिगत होना पड़ा. बरसों तक वे सी पी आई (एम) के शीर्षनेतृत्व में रहे और सी पी आई (एम) की पश्चिम बंगाल यूनिट को व राज्य में विशाल जन-आंदोलन को नेतृत्व देने का महत्वपूर्ण कार्य करते रहे. वे पश्चिम बंगाल में कांग्रेस (आई) की लगातार पराजय के मुख्य नायकों में से थे और उन्होंने राज्य में वाम मोर्चे का मार्ग दर्शन किया. मार्क्सवाद-लेनिनवाद की बुनियाद पर सही मजदूर वर्ग पार्टी बनाने में लीन, कामरेड प्रमोद दासगुप्त ने अपनी समूची शक्ति एक ऐसी ही पार्टी के संगठन में और इसके निर्माण के लिए युवा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में लगाई. यह पश्चिम बंगाल सी पी आई (एम) को उनका नेतृत्व ही था जिसके तहत सोद् के नेतृत्व में ड्रैड यूनियन आंदोलन लगातार विकसित होता रहा और जिसे अब सोद् का सबसे शक्तिशाली व सुसंगठित हिस्सा कहा जा सकता है. संघर्षों में पैदा की गई चेतना ने मजदूर वर्ग को इस योग्य बनाया कि इसने कांग्रेस (आई) को चुनार्यों में बार बार जिक्रस्ट दी और अपने फीरी संघर्षों में महान् सफलताएं प्राप्त कीं. कामरेड प्रमोद दासगुप्त का निधन मजदूर वर्ग आंदोलन को ऐसा नुकसान है जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती और उनके निधन से पैदा हुए रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए काफी समय लगेगा.

सोद् की जनरल काउंसिल की हिंद मोटर्स में 21 से 23 जनवरी 1983 को सम्पन्न यह बैठक बड़े ही दुःख के साथ सुप्रीम सोवियत के अध्यक्ष और सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, कामरेड लियोनिद इलिच ब्रेझ्नेव के, जिनका देहांत 10 नवम्बर 1982 को हो गया, निधन पर शोक प्रकट करती है. शांति के लिए संघर्ष के प्रति उनके महत्वपूर्ण योगदान ने उनको विश्व की शांति प्रेमी जनता का प्रिय बना दिया था.

जब अमरीका के नेतृत्व में साम्राज्यवादी विश्व को नाभिकीय नरसंहार के कगार पर लाते हुए पगली अस्त्र-दौड़ में व्यस्त थे, उस समय कामरेड ब्रेझ्नेव ने नाभिकीय अस्त्र-परीक्षण को खत्म करने, युद्धनीतिक अस्त्रों को सीमित करने, आदि के लिए कई प्रस्ताव पेश किए. उन्होंने घोषणा की कि सोवियत संघ नाभिकीय अस्त्रों को इस्तेमाल करने में सर्वप्रथम नहीं होगा. जब साम्राज्यवादियों ने इन सब प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और सार्वभौमिक प्रभुत्व के इरादे से युद्धोन्माद पैदा करना जारी रखा, उस समय उन्होंने शांति को बनाए रखने के कदम के रूप में सैन्य-शक्ति में समानता रखते हुए सोवियत संघ की प्रतिरक्षात्मक तैयारियों के लिए कदम उठाए. प्रसाधनों की प्रतिरक्षा के लिए मोड़ने के लिए इस तरह बाध्य होने के बावजूद, सोवियत संघ उनके मार्ग-दर्शन में सोवियत जनता के हित में समाजवादी संरचना में बहुमुखी प्रगति करता रहा.

उनके नेतृत्व में सोवियत संघ ने विकासशील देशों को अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण में और साम्राज्यवादी हस्तक्षेपों को पछाड़ने में सहायता दी. भारत की जनता 1970 में भारत-सोवियत मित्रता संधि पर, जिसने भारत को बंगलादेश में मुक्ति संघर्ष की सहायता करने के लिए योग्य बनाया था, हस्ताक्षर किए जाने में उनके योगदान को याद करती है.

यह बैठक उनकी याद में अश्रुजलित अर्पित करती है और सोवियत संघ के मजदूर-वर्ग व जनता को अपनी हृदय-विदारक संवेदना भेजती है.

कामरेड शंकर गुप्ता पर

सोद् की जनरल काउंसिल की यह बैठक सी पी आई (एम) की पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी के सदस्य और पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार के विद्युत् शक्ति विभाग के राज्य मंत्री, कामरेड शंकर गुप्ता, के आजा (22 जनवरी) सुबह 9.15 बजे

अचानक व असामयिक निधन पर शोक प्रकट करती है.

वृद्ध राजनीतिक विश्वास के साथ समर्पित कार्यकर्ता, कामरेड शंकर गुप्ता ने प्रोफेसर की अपनी नौकरी छोड़ कर पीपुल्स डेमोक्रेसी की संपादकीय टीम में शामिल होना चुना था. पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री कामरेड ज्योति वसु के 1977 से 1982 के दौरान राजनीतिक सचिव के रूप में उनकी योग्यता के साथ उन्हें ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियाँ सौंपालेने के लिए चुना गया था. तब उन्हें विद्युत शक्ति विभाग का चार्ज दिया गया था जो पहली कांसेस (आई) सरकार द्वारा अपनाई गई गलत नीतियों के कारण संकटग्रस्त था. उनके निधन में पश्चिम बंगाल की सी पी आई (एम), मजदूर वर्ग व जनता ने एक चमकता समर्पित कामरेड खो दिया है.

यह बैठक शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को, खासतौर से कामरेड श्यामली गुप्ता को जो स्वयं पश्चिम बंगा गण-तांत्रिक महिला समिति के प्रथमी नेता हैं, अपनी हृदय-विदारक संवेदना भेजती है. □

युद्ध के खतरे के खिलाफ व शांति के लिए संघर्ष पर

सीढ़ की जनरल काउंसिल की यह बैठक अमरीकी साम्राज्यवाधियों को, सोवियत संघ द्वारा निरस्त्रीकरण के लिए पेश किए गए सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करते हुए, अपनी युद्ध-तैयारियों को विस्तृत करने के लिए निन्दा करती है.

यह बैठक अमरीका सहित समूची दुनिया में बढ़ते शांति-संघर्षों व युद्ध विरोधी प्रदर्शनों का, जिन्होंने रीगन प्रशासन को हिला दिया है, स्वागत करती है. रीगन के युद्धोन्माद के खिलाफ जनता के रोष का उस समय पर्याप्त प्रदर्शन हुआ जब उन्होंने लन्दन, पेरिस व बोन्न में रीगन की इन स्थानों की यात्रा के दौरान राएट (दंगा) पुलिस के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी.

बैठक भारत के मजदूर वर्ग को समूचे देश में 1 सितम्बर 1982 के दिन अन्तर्राष्ट्रीय शांति व एकजुटता दिवस बड़े जोरशोरों के साथ मनाने के लिए बधाई देती है. शांति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-वर्ग संघर्ष की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए इस दिन मजदूरों को सफलतापूर्वक लामबंद करने के लिए यह बैठक राज्य कमेटियों व सम्बद्ध नुनियनों को बधाई देती है. 4 अक्टूबर 1982 को संसद पर बिनाश शांति-मार्च आयोजित करने के लिए यह बैठक फिर मजदूर वर्ग व छः पार्टियों को बधाई देती है. यह सी पी आई (एम), सीढ़ तथा एस एफ आई, डी वाई एफ आई, किसान सभा व महिला संगठनों सहित सभी जनसंगठनों की राज्य कमेटियों को भी बधाई देती है जो समय की पुकार पर ऐतिहासिक शांति-मार्च की सफलता के लिए सामने आयी और जिन्होंने अपने-अपने राज्यों में भारी प्रदर्शन आयोजित किए. बैठक खासतौर से पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा के वाममोर्ची तथा सी पी आई (एम)

की केरल व आन्ध्र प्रदेश राज्य कमेटियों को इन राज्यों में विशाल शांति-मार्च आयोजित करने के लिए बधाई देती है.

अमरीकी साम्राज्यवाद ने सोवियत संघ द्वारा पेश किए गए सभी शांति प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है. यह खुला वादा करने के बाद कि यह नाभिकीय अस्त्रों को सर्वप्रथम इस्तेमाल नहीं करेगा, सोवियत संघ ने फिर यह घोषणा की कि यह परम्परागत हथियारों से भी सर्वप्रथम बार नहीं करेगा. इस प्रस्ताव का भी रीगन प्रशासन द्वारा जवाब देने से इन्कार करना विश्व प्रभुता के लिए इसके हमलावर युद्धोन्माद को साफ जाहिर करता है.

साल्ट-1 व साल्ट-2 सन्धियों के अनुसार समानता व समान सुरक्षा के और दोनों पक्षों की भौगोलिक व युद्धनीतिक स्थितियों के आधार पर सोवियत संघ ने अस्त्र-दौड़ को खत्म करने और शांति के लिए कई प्रस्ताव पेश किए. यूरोप में निशानों पर बार करने के लिए बनाये गए सभी प्रकार के नाभिकीय अस्त्रों को त्यागने के लिए इसने एक समझौते का प्रस्ताव पेश किया है. इसने यह भी सुझाव दिया कि सोवियत संघ व नाटो देशों को अपना अस्त्र-बल दो-तिहाई कम कर देना चाहिए. इसने यूरोप में ब्रिटेन व फ्रांस जितने ही मिसाइल सीमित करने की भी पेशकश की. सोवियत संघ के प्रस्तावों का दुनिया की शांतिकामी जनता ने स्वागत किया है. लेकिन अमरीका ने इन सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है, बल्कि इसके विपरीत इसने अपनी तथाकथित 'जीरो आप्रान' दी है जिसका मतलब है सोवियत संघ के न केवल यूरोपीय हिस्से से बल्कि एशियाई हिस्से से भी मध्यम रेंज के मिसाइलों का हटाया जाना, जबकि नाटो के मिसाइल यूरोप में स्थापित रहेंगे और इनमें वृद्धि भी हो सकती है. शाब्दिक "भारी कमी" लाने की बात करते हुए अमरीका अस्त्र-निर्माण बेरोक बढ़ा रहा है.

यह बैठक सोवियत संघ व सार्वा संधि के देशों के, नाटो देशों के साथ अनाक्रमण संधि का प्रस्ताव रखके, शांति प्रयासों की प्रशंसा करती है. साथ ही यह बैठक मजदूर-वर्ग को आगाह करती है कि यह इस बात को नोट करे कि किसी भी प्रकार का मामूली भड़कावा विश्वव्यापी नाभिकीय नरसंहार को शुरू कर सकता है. अस्त्र-दौड़ के इस पागलपन को रोकने का एक ही तरीका है कि अमरीकी साजिशों को बेनकाब करते हुए विश्व-शांति के लिए और युद्ध के खिलाफ भारी एकजुट संघर्षों का निर्माण किया जाए. □

सामाजिक क्षेत्र के कर्मचारियों के संघर्ष पर

सीढ़ की जनरल काउंसिल की हिंद मोटर्स में 21 से 23 जनवरी 1983 को सम्पन्न यह बैठक भारत सरकार की अधि-नायकवादी नीतियों की निन्दा करती है जिसके तहत यह बेतन-

वाताश्रितों को बदनाम व्यूरी आफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज थोप कर निर्भ्रित करने के लिए मजदूरों की सामूहिक सोदेबाजी के अधि-कार से वंचित कर रही है तथा उनके वेतन जाम कर रही है.

सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के हैदराबाद सम्मेलन में यह पता चला कि वेतनों में किसी भी वृद्धि को उत्पादकता में जतिरिक्त वृद्धि के साथ जोड़ने, वेतन वृद्धि 10 प्रतिशत तक सीमित करने और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960-100) में प्रति बिंदु वृद्धि पर रु. 1.30 की दर से मंहगाई भत्ता देने के लिए जारी किए गए बी पी ई के निर्देशों के बाद 185 में से करीब 150 प्रतिष्ठानों में वेतनवातांश रुक गई हैं. एक और सरकार सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में वेतन वृद्धि का इतना जोरदार विरोध कर रही है दूसरी ओर यह डिबिडेंड व एनसाइज इयूटी की शकल में अपने सेंट्रल एक्सेचर के लिए उनसे काफी धन निकाल रही है. सरकार ने 1975-76 में रु. 1,196 करोड़ से बढ़कर 1980-81 में रु. 3,429 करोड़ से ज्यादा धन निकाला है. इसके अलावा मजदूरों के बढ़ते कार्यभार से निर्माण द्वारा जोड़ा गया मूल्य 1975-76 में रु. 2,083 करोड़ से भारी मात्रा में बढ़कर 1980-81 में रु. 4,385 करोड़ हो गया है, जबकि आसमान छूती कीमतों की पृष्ठभूमि में मंहगाई भत्ते को सीमित करने से मजदूरों के वास्तविक वेतनों में पिछले चार सालों में आई कमी 18 से 56 प्रतिशत के बीच है. एक और मजदूरों पर ज्यादा उत्पादन के लिए दबाव डाला जा रहा है दूसरी ओर पिछले कुछ सालों से विभिन्न उद्योगों में उत्पादन के कुल खर्च में वेतन खर्च की प्रतिशत कम होती जा रही है. बैठक भारत सरकार से मांग करती है कि यह बी पी ई को समाप्त करे और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की मांगों पर सामूहिक सोदेबाजी के माध्यम से समझौता करे.

राष्ट्रीय अभियान समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के 25 लाख मजदूरों का बी पी ई के मनमाने निर्देशों के खिलाफ 28 जनवरी 1983 को एक दिन की हड़ताल का तामयिक आह्वान किया था. मजदूरों का समर्थन इतना जबरदस्त था कि सरकार केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ निर्देशों पर बातचीत करने और रु. 1.30 के मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि करने को सिद्धान्त रूप से स्वीकार करने, बी पी ई के अन्य निर्देशों में संशोधन करने पर विचार करने और मंहगाई भत्ते की ऊंची दर की मात्रा तय करने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति बनाने के लिए मजबूर हुई. सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और इसलिए राष्ट्रीय अभियान समिति ने अखिल भारतीय हड़ताली कार्यवाही को स्थगित करने का फैसला लिया.

सौद्र की जनरल काउंसिल सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों को प्रशंसनीय एकता स्थापित करने तथा उन द्वारा संघर्ष किए जाने के लिए गर्मजोशी के साथ बधाई देती है. यह उनसे अपील

करती है कि वे अपने संघर्ष को तब तक जारी रखें जब तक सरकार अंततः बी पी ई के निर्देशों को खत्म नहीं करती और मौजूदा वेतनवातांश सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में समझौता नहीं करा पाती.

राष्ट्रीय त्रिपक्षीय सम्मेलन पर

सौद्र की जनरल काउंसिल की हिंद मोटर्स में 21 से 23 जनवरी 1983 को संपन्न यह बैठक जिस तरीके से सरकार ने 17-18 सितंबर 1982 को राष्ट्रीय त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया उसके लिए सरकार की निंदा करती है और इसमें लिए गए फैसलों को अस्वीकार करती है.

केंद्रीय ट्रेड यूनियनें भारतीय श्रम सम्मेलन के आयोजन की लगातार मांग करती रही हैं. तत्कालीन श्रम मंत्री ने 1981 में सम्मेलन के लिए दो शारोलें नियत कीं. लेकिन उन्हें बिना कोई कारण बताए एकतरफा रद्द कर दिया गया. उसके बाद इंटक, कुलकर्णी ग्रुप, एन एल ओ व एन एफ आई टी यू को छोड़कर बाकी सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनें जून 1981 के बंबई सम्मेलन में एक साथ मिलीं और श्रमनीति से संबंधित सभी मामलों पर सरकार के साथ बातचीत की मांग की. लेकिन सरकार ने जानबूझकर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों को नजरअंदाज किया और हड़ताल के अधिकार सहित मजदूरों के बुनियादी ट्रेड यूनियन अधिकारों का दमन करने के लिए काले कानून लागू करती गयी. अपनी पिटूटू यूनियन, इंटक, की सलाह के साथ अपनी पूर्वनिर्धारित नीतियों को थोपने के बाद, इसने तथाकथित राष्ट्रीय त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन आयोजित किया जिसका राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा ठीक ही बहिष्कार किया गया था.

यह सम्मेलन त्रिपक्ष का मजाक था तथा इसमें केवल इंटक और मालिकान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और यह 1969 के राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के सभी पुराने व श्रमविरोधी प्रस्तावों को सामने लाया जिन्हें मजदूर वर्ग ने पहले ही अस्वीकार कर दिया था. सम्मेलन ने सनत महता कमेटी नियुक्त की जिसने एक जुडीशियल व्यक्ति के नेतृत्व में औद्योगिक संबंध आयोग बनाने की सिफारिश की जिसका इरादा ट्रेड यूनियनों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना और उन की दिन प्रतिदिन की कार्यविधि पर औद्योगिक विवाद व ट्रेड यूनियन कानूनों में और संशोधन करके गंभीर प्रतिबंध थोपना है. विवाद के मामले में बैयरमैन का मत अंतिम होगा जिसका मतलब होगा ट्रेड यूनियन आंदोलन पर जबरन मध्यस्थता सीधे सीधे थोपना. राष्ट्रीय वेतन नीति विकसित करने का सवाल एक बोझा होगा क्योंकि सरकार ने पहले ही वेतनवातांशों पर बी पी ई के निर्देश लाद दिए हैं. इंटक के साथ सलाह करके सम्मेलन ने चैक आफ प्रणाली के माध्यम से सत्यापन प्रक्रिया की सिफारिश की है. एक और सरकार मायता के लिए गुप्त

मतदान से इंकार कर रही है दूसरी ओर यह अपने दोहरे चरित्र का पर्दाफाश करते हुए हड़तालों के लिए गुप्त मतदान लादने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा, ट्रेड यूनियनों पर थोपे जाने के लिए एक तथाकथित आचार संहिता प्रस्तावित की गई है और जो यूनियन संहिता के तहत योग्य नहीं पाई जाती है तो उन्हें सत्यापन से भी वंचित कर दिया जाएगा।

इस प्रकार यह सिद्ध हो गया है कि सरकार ने विपक्षीय परामर्शों की मालिकान व इंटर के प्रतिनिधियों के साथ परामर्शों में परिवर्तित कर दिया है जैसा कि इसने एन एस ए, एस्मा, ट्रेड यूनियन विरोधी काले विधेयकों, आदि, जैसे विनोद व श्रमविरोधी कानूनों को लाने में किया था।

ऐसे हालात में यह बैठक राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा सम्मेलन की सिफारिशों को अस्वीकार करने के फैसलों को पूरा समर्थन देती है और मजदूर वर्ग का आह्वान करती है कि वह सम्मेलन की सिफारिशों को अस्वीकार करने के लिए और राष्ट्रीय विपक्षीय श्रम सम्मेलन को ठीक तरह से आयोजित करने के लिए केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ बातचीत करने के लिए सरकार को मजबूर करने के लिए और ज्यादा एकता कायम करे व जनकार्यवाहियों द्वारा संघर्षों को तेज करे। □

औद्योगिक सम्बन्ध स्थिति पर

सोद्ग की जनरल काउंसिल की हिन्द मोटर्स में 21 से 23 जनवरी 1983 को सम्पन्न यह बैठक भारत सरकार द्वारा अपनाई गई लगातार जटिल होती श्रम-विरोधी नीतियों के कारण देश में बिगड़ते औद्योगिक सम्बन्धों की स्थिति पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है। गहराते संकट के बोझ को मजदूरों पर लादने व एकाधिकारियों के मुनाफों को बढ़ाने की कोशिश में सरकार ने मजदूरों के साथ टकराव की नीति अपनायी है। सरकार द्वारा आई एम एफ की शर्तों को मंजूर किए जाने के बाद से स्थिति और खराब हुई है। पिछले कुछ सालों में ताला-बन्दियों व मिल-बंदियों में तेजी से वृद्धि हुई है। जून 1982 के बाद स्थिति और भी बिगड़ गयी है। म्यारह महीने की अकेली बम्बई के कपड़ा मजदूरों की हड़ताल में सरकार द्वारा बातचीत के साथ समझौता करने से इंकार करने के कारण कार्य-दिवसों की कुल हानि 1981 में सभी उद्योगों की कुल हानि से पहले ही कहीं ज्यादा हो गयी है। अकेले पश्चिम बंगाल में जनवरी 1981 से जुलाई 1982 के बीच 133 यूनिटों में तालाबन्दी कर दी गयी है जिससे 2 लाख मजदूर प्रभावित हुए हैं जिसमें से साठ हजार से भी ज्यादा तो अकेले जूट उद्योग से सम्बन्धित हैं। 1982 में की गयी बड़ी तालाबंदियों व मिल-बंदियों में केरल में खालियर रेयान की माडूर यूनिट व वेल्सूर न्यूजप्रिंट प्लांट, बिहार में डालमियानगर की रोहतास इन्डस्ट्रीज, बम्बई में बुश इन्डिया व इलेक्ट्रॉनिक यूनिट तथा नेशनल रेयान

कापॉरेशन, बड़ोदा में हैवी वाटर प्लांट, मद्रास में बिज्जी, आन्ध्र प्रदेश में आई टी सी और अन्य शामिल हैं।

मिल-बंदियों, ताला-बंदियों, ले-आफ व छंटनी के अलावा कु-प्रबंधन व भ्रष्टाचार के कारण तथाकथित रणनीति के बढ़ते मामले दसियों हजारों मजदूरों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक ओर सरकार रणनीति का अधिग्रहण करने से इंकार करती है दूसरी ओर यह इजारेदारी को सुलभ सह्यता देती है और अधिग्रहित यूनिटों का प्रबन्धन उन्हीं पुराने प्रबन्धकों को सौंप देती है तथा इस तरह यह शोषण की प्रणाली को और भी जटिल बनाती है।

यह बैठक बुनियादी ट्रेड यूनियन अधिकारों को वापस लेने व बेतन जाम करने के लिए उठाए गए अधिनायकवादी कदमों के लिए, जिनकी वजह से औद्योगिक सम्बन्धों में और भी बिगड़बाव आया है, भारत सरकार की निंदा करती है। हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने व सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को वापस लेने के लिए विनोद कानूनों के साथ, सरकार द्वारा इंटर को खुला संरक्षण देने से और अन्य केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ सलाह किए बिना अपनी पूर्व-निश्चित श्रम नीतियों को लागू करके, मजदूरों की विभाजित करने तथा उनके अपने जीवन व कार्यशर्तों की रक्षा में संघर्षों का दमन करने और उन्हें बंधुषा मजदूर के स्तर पर लाने की कोशिश की जा रही है।

यह बैठक भारत के मजदूर-वर्ग और विभिन्न केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों व राष्ट्रीय फेडरेशनों को बधाई देती है जिन्होंने चुनौती स्वीकार की है और प्रतिरोध की दीवार निर्मित की है। यह बैठक सभी ट्रेड यूनियन केन्द्रों से अपील करती है कि वे जून 1981 के बम्बई सम्मेलन की भावना में संयुक्त मंच को और मजबूत बनाएं तथा संघर्षों को तेज करें ताकि सरकार अपनी श्रम नीतियों को बदलने के लिए मजबूर हो जाए। □

सूखे पर

जनरल काउंसिल की हिंद मोटर्स में 21 से 23 जनवरी 1983 को सम्पन्न यह बैठक अग्रतुल्य सूखे पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है जिसने इस साल देश में कई राज्यों को जकड़ रखा है और स्थिति का फीरी सामना करने में केंद्र सरकार की उदासीनता के लिए इसकी निंदा करती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में गम्भीर सूखा पड़ा है। इसके अलावा उड़ीसा व गुजरात बाढ़ व साइक्लोन से पीड़ित थे।

क्षेत्र व मात्रा के हिसाब से सबसे ज्यादा पीड़ित राज्य पश्चिम बंगाल है और सूखा 1979 के बाद की शृंखला में सबसे नया है। सूखे ने समूचे राज्य को प्रभावित किया है और खरीफ व रबी की फसलों को नष्ट कर दिया है। इसके अलावा मुसीबत

का सामना करने में पूरी तरह खाली हुए भंडारों के कारण आगामी रबी व धोरी की फसलों की भी कोई संभावना नहीं है। वाम मोर्चा सरकार द्वारा बार बार अनुरोध किये जाने के बावजूद केंद्र स्थिति की मांगों को आधिक रूप से या खाद्यान्न के अतिरिक्त अनुदान द्वारा पूरा करने के लिए आगे नहीं धाया। इसके विपरीत भोजन पर सखिस्टी और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए कोटा भी वापस ले लिया गया। केंद्र सरकार ने राहत कार्यक्रम के लिए भी जिसने काम के लिए अनाज कार्यक्रम का स्थान ले लिया है विशेष कोटा देने से इंकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल में स्थिति का सामना करने से केंद्र सरकार द्वारा इंकार किये जाने के परिणामस्वरूप राशन की दुकानें जल्दी जल्दी खाली हो जाती हैं, खासतौर से ऐसा ग्रामीण इलाकों में होता है जहां लेत मजदूर व छोटे किसान सबसे ज्यादा पीड़ित हैं।

केंद्र सरकार द्वारा जानबूझकर दिखाई गई उदासीनता इसकी राजनीतिक विचारधारा के कारण है जिसने पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार को बहुत ही कठिन स्थिति में ला दिया है।

महाराष्ट्र में 30 में से 20 जिले सूखाग्रस्त हैं। राजस्थान में 27 में से 26 जिले पीड़ित हैं जिनके तहत 23 हजार गांव आते हैं। अन्य राज्यों में भी जो सूखे, साइक्लोन व बाढ़ से पीड़ित हैं, स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न की सप्लाई करने में सरकार नाकामयाब रही है। मूसीबतों का सामना करने के लिए बकर भंडार की कमी और 35 लाख टन खाद्यान्न का आयात सरकार के खाद्यान्न के रिकार्ड उत्पादन के भूट दावे को बेनकाब करता है। अनेक क्षेत्रों में जनता की करीब करीब अकाल की सी स्थिति है। जहां केन्द्र सरकार व अन्य सूखा पीड़ित राज्यों की कांग्रेस (आई) सरकारों ने पीड़ित जनता के प्रति, जो इजारेदारों, बड़े व्यापारियों व दलालों की दया पर रह गए थे, विलकुल उदासीनता प्रदर्शित की है; वहां पश्चिम बंगाल की वाममोर्चा सरकार ने समय की पुकार पर खड़ी होकर अपनी समझ में भारी अन्तर दिखाया और जनता को भुखमरी से बचाने के लिए जनबादी जनता को, खासतौर से मजदूर वर्ग को, सामबन्ध करके केन्द्र सरकार द्वारा पैदा की गई सभी कठिनाइयों का मुकाबला किया। वाम मोर्चा सरकार ने पहली बार सत्ता में आने के नुरन्त बाद 1978 में राज्य में जिनाशकारी बाढ़ के दौरान भी ऐसी ही समझ प्रदर्शित की थी।

यह बैठक जनता की पीड़ाओं को दूर करने के लिए वाममोर्चा सरकार को उसके गम्भीर व सख्त परिश्रम के लिए बधाई देती है। यह बैठक पश्चिम बंगाल की जनता को, राज्य सौद्व व सभी अन्य जन संगठनों को बधाई देती है जिन्होंने सभी अड़चनों का सामना करते हुए वाममोर्चा सरकार को तहेदिल से सहयोग दिया। यह बैठक सौद्व को राज्य कमेटी को भी बधाई देती है

जिसने पीड़ित जनता को सहायता देने के लिए कदम उठाए हैं। यह बैठक खासतौर से उन राज्य कमेटियों व यूनियनों की प्रशंसा करती है जिन्होंने अन्य राज्यों को राहत पहुंचा कर विशिष्ट एकजुटता प्रदर्शित की है। अन्य सूखा पीड़ित राज्यों की राज्य कमेटियों का आह्वान करते हुए कि वे प्रभावित जनता की पीड़ाओं को दूर करने के लिए अपनी पूरी कोशिशें जारी रखें, यह बैठक केन्द्र सरकार से मांग करती है कि वह स्थिति की मांगों की पूर्ति करे और सभी प्रभावित राज्यों में जनता की राहत के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न व अनुदान दें।

यह बैठक सौद्व से सम्बद्ध सभी यूनियनों का आह्वान करती है कि वे भारत सरकार को उचित कदम उठाने के लिए मजबूर करने के लिए अपनी क्षतिशाली आवाज बुलंद करे। यह बैठक सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों से भी अपील करती है कि वे प्रभावित किसानों व लेत मजदूरों के लिए राहत की मांगों के समर्थन में एक शक्तिशाली आन्दोलन के लिए एकजुट हों ताकि भारत सरकार को इन मांगों को स्वीकारने के लिए मजबूर किया जा सके। □

हरिजनों पर अत्याचार पर

सौद्व की जनरल काउंसिल की हिंद मोटर्स में 21 से 23 जनवरी 1983 को संपन्न यह बैठक सरकार को निंदा करती है जो भूमिहीन हरिजनों, जनजातियों व समाज के अन्य कमजोर तबकों पर अत्याचार की बढ़ती वारदातों को रोकने में नाकामयाब रही है। भूमि व बेहतर वेतनों के लिए बढ़ते संघर्षों को वर्बरता के साथ दबाने के लिए जमींदारों व उनके किराए के शृंखों द्वारा ये अत्याचार किए जाते हैं। यह बैठक खासतौर से बिहार व उत्तर प्रदेश में ऐसे अत्याचारों की गंभीर स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करती है जहां घरों को जला देना और महिलाओं के साथ समाज विरोधी तत्वों व पुलिस द्वारा सामूहिक बलात्कार करना एक आम वारदात हो गई है। ये अत्याचार हरिजनों व जनजातियों के, जिन्हें जमींदारों द्वारा बहुश्रुत मजदूर की तरह इस्तेमाल किया जाता है व सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से भी बंचित रखा जाता है, सामाजिक शोषण पर आधारित ऊंची जाति के जमींदारों द्वारा फैलाए जाते हैं। एक और कांग्रेस (आई) हरिजनों के उत्थान के लिए बड़े बड़े वादे करती है और छुआछूत के खिलाफ प्रचार करती है तथा इसे अपने पालंडी व्यवसाय के हिस्से तथाकथित 20-सूत्री कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण प्वाइंट बनाती है, दूसरी ओर यह पुलिस नियुक्त करके जमींदारों व ऊंची जाति वालों का बचाव करती है और उन्हें वेगर्मी के साथ संरक्षण देती है।

यह बैठक भारत सरकार की सही भूमि 'सुधार' में तथा फालतू व निजी भूमि की गरीब भूमिहीन मजदूरों में मुफ्त आंदोलन के रास्ते में आड़े आनेवाली इसकी जमींदार परस्त नीतियों के लिए और इस द्वारा भूपतियों व धनी किसानों को,

जो खेत मजदूरों को न्यायोचित वेतन देने से इंकार करते हैं तथा उनका बहिश्चयाना दमन करते हैं, दंडित करने से इंकार करने के लिए निंदा करती है। यह और भी निन्दनीय है कि भारत सरकार व कांग्रेस (आई) शासित राज्य सरकारों की दमनकारी मशीनरी की पूरी ताकत इस्तेमाल करते हैं और जायज संघर्षों को भी एक राजनीतिक या जानिवादी रंग देते हैं।

यह बैठक हरिजनों व जन-जातियों के भूमि व बेहतर वेतनों के लिए तथा छुआछूत व सामाजिक दमन के खिलाफ जायज संघर्षों को पूरा समर्थन देती है और मजदूर-वर्ग को बेतावनी देती है कि वह यह महसूस करे कि जब तक वे समाज के इस दलित हिस्से के हितों का नायकत्व नहीं करते हैं, वे न तो शासक पार्टी को इस द्वारा इस हिस्से को अपने पाखण्डी व्यवसाय के माध्यम से मत के भण्डार के रूप में इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं और न ही वे वामपंथी व जनवादी एकता स्थापित कर सकते हैं। यह बैठक राज्य कमेटियों व सम्बद्ध युनियनों का आह्वान करती है कि वे सरकार की बोधक-वर्ग समर्थक नीतियों के खिलाफ संघर्ष में भूमिहीन हरिजनों, जन-जातियों व अन्य कमजोर तबकों को लामबंद करने के लिए अपनी कोशिशों को तेज करें और मौजूदा सामाजिक प्रणाली के खिलाफ संघर्ष में एक दृढ़ सहयोगी के रूप में इस हिस्से को जीतने के लिए एकजुटता कार्यवाहियां करें। □

फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ संघर्ष पर

सीटू का जनरल काउंसिल फूटपरस्त ताकतों की बढ़ती गतिविधियों पर, जो देश की व मजदूर वर्ग की एकता को खंडित करना चाहती हैं, गहरी चिंता व्यक्त करती है। इस हमले की विभिन्न शक्तें हैं। असम व पंजाब में वे खुलेप्राय पृथक्-तावादी विघटन की बात करती हैं और उनकी साम्राज्यवादी एजेंसियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सहायता की जा रही है। बाकी देश में प्राथिक व जनवादी प्रगति के लिए कामन संघर्ष से सभी हिस्सों को दूर करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक व जातिभेदों को इस्तेमाल किया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर एस एस) जैसे साम्प्रदायिक संगठन, बोजेयो जैसी पाटियों अपनी संप्रदायिक अग्रिम से साम्राज्यवादी एजेंसियों की देश की एकता को खंडित करने की चाल की सहायता करती हैं। जमाते-इस्लामी जैसी अल्पसंख्यक साम्प्रदायिक संगठन भी उन्हीं ताकतों के हाथों में खेलते हैं। शासक कांग्रेस (आई) पार्टी न केवल देश की एकता की रक्षा करने में असमर्थ है बल्कि मौकापरस्ती के साथ चुनावी लाभों के लिए पृथक्ता-वादी व साम्प्रदायिक ताकतों के साथ गठबंधन करती है।

यह केवल मजदूर वर्ग और वामपंथी पाटियां ही हैं जो वर्ग व जनता की एकता के लिए लगातार संघर्ष करती हैं। विघटन व पृथक्तावाद की ताकतों का मुकाबला करने के लिए पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा की वाममोर्चा सरकारों की एकता-स्थापना की भूमिका तथा पंजाब व असम में सीटू व अन्य ट्रेड

युनियन संगठनों द्वारा लड़ी गई लड़ाई की जनरल काउंसिल प्रशंसा करती है।

जनरल काउंसिल अपनी सभी युनियनों का आह्वान करती है कि वे जाति, सम्प्रदायवाद व पृथक्तावाद की फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ लगातार संघर्ष चला कर मजदूर वर्ग की एकता की रक्षा करें, मजदूरों के सभी हिस्सों को अपने भंडे की नीचे एकताबद्ध करें और उनकी ताकत के साथ विघटनकारी ताकतों के खिलाफ संघर्ष करें तथा साम्राज्यवादियों की साजिश को नाकाम करें और देश की एकता की रक्षा करें। □

दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों की हड़ताल के समर्थन में

सीटू का जनरल काउंसिल की हिन्द मोटर्स, हुगली, में 21 से 23 जनवरी 1983 को सम्पन्न यह बैठक दिल्ली विश्व-विद्यालय के अधिकारियों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू जी सी) तथा केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के दिल्ली विश्व-विद्यालय के छः हजार शिक्षकों के संघर्ष के प्रति, जो अस्पताल व अन्य संस्थान विधेयक के खिलाफ तथा अपने समूचे कार्यकाल में कम से कम एक पदोन्नति व आवास सुविधा, आदि, की मांग करते हुए 12 अक्टूबर 1982 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, अग्रियल रविवार की निंदा करती है और इस प्रकार अधिकारियों ने छात्रों की पढ़ाई को भारी नुस्सान पहुंचाया है।

यह बैठक दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों को बधाई देती है जिन्होंने विश्वविद्यालय अधिकारियों द्वारा 'काम नहीं तो वेतन नहीं' आदेश जारी किए जाने के बावजूद अपने आन्दोलन के इतिहास में इस अभूतपूर्व हड़ताल से एक नया अध्याय लिख दिया है। यह आश्चर्य की बात है कि अधिकारी उनकी समय-बद्ध एवं योग्यता पदोन्नति योजना भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं जो यू जी सी द्वारा उन्हें प्रस्तावित की जा रही योजना से करीब 50 हजार रुपये कम खर्चीली है। इसके बजाए, अधिकारियों ने दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डी यू टी ए) द्वारा प्रस्तावित पदोन्नति योजना को स्वीकार न करने के लिए 'सिद्धान्त' का एक तथ्यांकित सवाल उठाया।

जनरल काउंसिल की यह बैठक दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी बधाई देती है जिन्होंने शिक्षकों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की। यह प्रशंसनीय है कि छात्रों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल से अपनी पढ़ाई को हुई पर्याप्त हानि के बावजूद अपने शिक्षकों को सक्रिय समर्थन दिया। आन्दोलन का प्रशंसनीय पहलू यह है कि डी यू टी ए द्वारा आह्वान की गयी सभी कार्यवाहियों में आमतौर पर शिक्षकों की और छात्रों के महिला शिक्षकों की भारी तादाद में भागीदारी थी।

जनरल काउंसिल को यह बैठक 'काम नहीं तो वेतन नहीं' आदेश की निंदा करती है और इसकी फोरी वापसी की मांग करती है। यह दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों के संघर्ष को पूरा समर्थन देती है और सम्बन्धित अधिकारियों व शिक्षा-मंत्रालय से मांग करती है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों की जायज मांगों को तुरन्त स्वीकार किया जाए। यह अपनी

सभी संबद्ध यूनियनों का आह्वान करती है कि वे उनके संघर्ष के समर्थन में आवाज उठाएं ताकि सरकार उनकी जायज मांगों को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाए। □

कोयला मजदूरों के संघर्ष पर

सीटू की जनरल काउंसिल की हिंद मोटर्स, हुगली, पश्चिम बंगाल, में 21 से 23 जनवरी 1983 को सम्पन्न यह बैठक सात लाख कोयला मजदूरों को (क) उचित तरीके से गठित जे बी सी सी आई में सभी गैर-इंटक (आई) केन्द्रीय यूनियनों द्वारा पेक्ष किए गए संयुक्त मांग पत्र पर तुरंत बातचीत करने, (ख) गैर-प्रतिनिधित्व वाली व गैरकानूनी तथाकथित जे बी सी सी आई का खात्मा करने (ग) बी पी ई के निर्देशों की वापसी, (घ) पीने के पानी, शिक्षा सुविधा, इंस्टिट योजना लागू करने, मुआवजा, पदोन्नति सुविधा, ठेका श्रम प्रणाली की समाप्ति, आवास व चिकित्सा सुविधा, आदि जैसे 1979 से लटकाए जा रहे महत्वपूर्ण मुद्दों पर फौरी समझौता करने की मांग करते हुए उनकी 72 घंटे की सफल अखिल भारतीय औद्योगिक हड़ताल के लिए बधाई देती है।

यह बैठक आफिस कर्मचारियों (मर्कटाइल, बैंक, जीवन बीमा, आदि) और उनके संगठनों को बधाई देती है जिन्होंने कलकत्ता में कोल इंडिया व इसकी सब्सिडियरी कंपनियों के मुख्यालयों के हड़ताली कर्मचारियों को सक्रिय समर्थन दिया है। यह बैठक 72-घंटे की हड़ताल के दौरान एकजुटता आन्दोलन तथा मजदूरों व किसानों की एकता के विकास को बहुत ही संतोष के साथ नोट करती है।

यह बैठक हड़ताली कोयला मजदूरों के खिलाफ विहार राज्य सरकार द्वारा उठाए गए दमनात्मक कदमों की निंदा करती है। हजारीबाग व धनबाद क्षेत्रों में विभिन्न आरोप लगाकर 400 से भी ज्यादा कोयला मजदूरों को गिरफ्तार किया गया। कई को तो पहले ही धनबाद से निष्कासित कर दिया गया था। यह बैठक माफिया, ठेकेदारों व उनके गुंडों की उन द्वारा हड़ताल को तोड़ने में मदद करने के लिए सशस्त्र सुरक्षा बल नियुक्त किए जाने की निंदा करती है।

सी आई एल के प्रबंधकों ने मजदूरों की हड़ताल का विरोध करने में कई लाख रुपये खर्च किए लेकिन वे नाकाम-याव रहे। सात लाख कोयला मजदूर कोयला मजदूरों की संयुक्त संघर्ष समिति व केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ एकता व मजबूती के साथ खड़े हुए।

प्रबंधकों का हड़ताल की तथाकथित नाकामयाबी का दावा शरारतपूर्ण व झूठा है। दमन के बावजूद कोयला मजदूर हड़ताल में एकता के साथ शामिल हुए।

सीटू की जनरल काउंसिल की यह बैठक कोयला मजदूरों

को उस बहुत ही कठिन स्थिति के बारे में चेतावनी देती है जिसमें आजकल उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि केन्द्रीय वित्त मंत्री ज्यादा मंहगाई भरो की मांग पर झुकते नजर आते हैं, लेकिन अधिकारियों पर लगातार दबाव डालने के लिए यदि शक्तिशाली आन्दोलन जारी नहीं रहा तो इसे आश्वासित नहीं माना जा सकता।

इसलिए सीटू की जनरल काउंसिल की यह बैठक कोयला मजदूरों व कर्मचारियों से अनुरोध करती है कि वे:

- (1) पहले से ही प्राप्त एकता की बनाए रखें व इसे और मजबूत करें, (2) संयुक्त संघर्ष समिति को आगे बढ़ाएं; (3) कोयला मजदूरों के धनबाद सम्मेलन द्वारा उठाई गई जायज मांगों को मनवाएं, और (4) कोल इंडिया व इंटक (आई) की साजिशों को शिकस्त दें।

यह बैठक राज्य सरकारों से हड़ताली मजदूरों व कर्मचारियों के खिलाफ शुरू किए गए सभी मामले वापस लेने के लिए अनुरोध करती है। यह प्रबंधकों से अनुरोध करती है कि वे जो हड़तालों से सबक लें तथा बातचीत द्वारा मजदूरों के साथ मुद्दों पर समझौता करें और मजदूरों का उत्पीड़न करना व उन्हें तंग करना बंद करें। □

सीटू का आह्वान

(पृष्ठ चौदह से आगे)

मजबूत बनाएं ताकि वे अधिनायकवादी निजाम तथा फूटपरस्त ताकतों द्वारा मजदूर वर्ग के सामने फेंकी गयी चुनौतियों का कारगरता के साथ मुकाबला कर सकें। इसके लिए ट्रेड यूनियनों की जनवादी कार्यप्रणाली होनी चाहिए। ट्रेड यूनियनों में जनवाद का मतलब केवल संवैधानिक औपचारिकताओं—यानि कार्यकारी समितियों की नियमित बैठकें करना—तक ही सीमित नहीं है। यूनियनों में नेताओं को सभी व्यक्तिवादी व नौकरशाही कार्य प्रणाली को खत्म करना चाहिए। इसका मतलब है कि संगठन की दिन प्रति दिन की गतिविधियों में मजदूरों, कार्यकर्ताओं व समूचे नेतृत्व को एक साथ सामूहिक, नेतृत्व के तहत लाना और उन्हें फंसले लेने की प्रक्रिया में शामिल करना। केवल तब ही हम चुनौतियों का कारगरता के साथ मुकाबला कर सकते हैं।

जनरल काउंसिल की बैठक खत्म होने के बाद 23 जनवरी को दोपहर बाद एक जनसभा आयोजित की गयी जिसे अग्र्यों के अलावा बी. टी. रणदिशे, पी. राममूर्ति, समर मुखर्जी, ई. बालानंदन, आदि ने संबोधित किया। जनरल काउंसिल की बैठक के अवसर पर गणनाट्य संघ व अन्य सांस्कृतिक दलों ने हिंद मोटर्स में 20 से 22 जनवरी तक प्रगतिवादी गीतों तथा नाटकों का कार्यक्रम आयोजित किया। □